(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1976)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधानमण्डल द्वारा पारित हुआ)

चलचित्र प्रदर्शन द्वारा और सार्वजनिक स्थानों में दीवालों, भवनों तथा विज्ञाप–पटों पर मादक पान के विज्ञापन को प्रतिषिद्दि करने तथा उसमें सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ–

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1976 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल में होगा।

(3) यह 1 नवम्बर, 1975 से प्रवृत्त समझा जायेगा

2. **परिभाषाएं–** इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) 'विज्ञापन' के अन्तर्गत कोई मुद्रित, साइक्लोस्टाइल, टाइप किया हुआ, हाथ से लिखा हुआ या रंग से तैयार किया हुआ पदार्थ या रेखांकन या चित्रांकित है और ऐसे पदार्थ, रेखांकन या चित्रांकन का किसी सार्वजनिक स्थान में किसी दीवाल, भवन या विज्ञापन पट पर वितरण या प्रदर्शन अथवा चलचित्र प्रदर्शन, निआन साइन या अन्य प्रकार से प्रकाश या ध्वनि उत्पन्न या प्रसारित करके प्रख्यापन भी है,

ख. 'आबकारी निरीक्षक' या अन्य 'आबकारी अधिकारी' का तात्पय्र संयुक्त प्रान्त अधिकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4,

1910) की धारा 10 के अधीन नियुक्त आबकारी निरीक्षक या अन्य आबकारी अधिकारी से है।

ग. 'मादक पान' के अन्तर्गत औषधि या प्रसाधन सामाग्री अधिनियम, 1940 (अधिनियम संख्या 23, 1940) में यथा परिभाषित औषधि नहीं है।

3. **मादक पान सम्बन्धी विज्ञापनों का प्रतिषेध**–कोई भी व्यक्ति किसी मादक पान के उपयोग के लिए निवेदन या उसे विक्रय के लिए प्रस्तुत करने वाला कोई विज्ञापन न तो प्रकाशित करेगा और न प्रकाशित करायेगा।

स्पष्टीकरण– किसी ऐसे भू–गृहादि में, जहां मादक पान बनाया या बेचा जाता हो या बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाता हो, किसी ऐसे साइन बोर्ड को, जिस पर केवल यह इंगित हो कि उस भू–गृहादि में ऐसा मादक पान बनाया या बेचा जाता है या बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाता है और ऐसे भू–गृहादि में रखे गये या अनुरक्षित ऐसी मादक पान के सूचीपात्र या मूल्य–सूची को उक्त विज्ञापन का प्रकाशन नहीं माना जायेगा।

4. **उपधारणा**– जहां धारा 3 का उल्लंघन करके मादक पान सम्बन्धी कोई विज्ञापन प्रकाशित किया गया हो, यह उपधारणा की जायेगी कि जब तक इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाये जिस व्यक्ति की ओर से उसका प्रकाशन अभिप्रेत है, उस व्यक्ति ने उस विज्ञापन को प्रकाशित किया या कराया है।

5. सारवान वस्तुओं को जिसमें प्रकाशित विज्ञापन हो, निरीक्षण और अभिग्रहण करने की शक्ति–

1. इस निमित्त बनाये गये किसी नियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई भी आबकारी अधिकारी, जो आबकारी निरीक्षक के पद से नीचे का न हो–

क. किसी ऐसे स्थान में, जहां उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है, ऐसी सहायता के साथ यदि कोई हो, जिन्हें वह आवश्यक समझें, किसी समय जो युक्तियुक्त हो, प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है।

ख. किसी विज्ञापन के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किसी वस्तु की जिसके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि उससे इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन होता है, अभिगृहीत और निरूद्ध कर सकता है।

ग. खण्ड (क) में उल्लिखित किसी स्थान में पाये गये किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या कोई अन्य सारवान वस्तु की, यदि उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि उससे इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किये जाने का साक्ष्य मिल सकता है, परीक्षा कर सकता है और उसे अभिगृहीत कर सकता है।

2. जहां कोई अधिकारी उपधारा (1) के अधीन कोई सम्पत्ति अभिगृहीत करता है, वहां ऐसे अभिग्रहण की सूचना तुरन्त मजिस्ट्रेट को दी जायेगी और उसकी अभिरक्षा और निस्तारण के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2, 1974) के अध्याय 34 के उपबन्ध, उसमें निर्दिष्ट सम्पत्ति पर जिस प्रकार लागू होते हैं, उसी प्रकार लागू होंगे–

6. **शास्ति**–धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति को सिद्वदोष होने पर करावास का, जो छः मास तक हो सकता है, अथवा जुर्माना का, अथवा दोनों दण्ड दिया जायेगा।

7. कम्पनियों द्वारा अपराध–

1. यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध करने के समय उस कम्पनी के कार्य संचालन का प्रभारी और उसके लिए कम्पनी के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिए अपराधी माना जायेगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा।

   परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबन्धित किसी दण्ड का भागी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के लिए किये जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

2. उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जबकि इस अधिनियम के आधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह साबित हो जाये कि वह अपराध उस कम्पनी के किसी प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सम्पत्ति या मोनानुमति से किया गया है, या उसकी उपेक्षा के कारण हुआ है तो कम्पनी का वह प्रबन्ध अभिकर्ता सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के लिए अपराधी, माना जायेगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दंड दिये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए

क. 'कम्पनी' का तात्पर्य किसी नियमित निकाय से है, और उसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है, तथा

ख. किसी फर्म के सम्बन्ध में 'निदेशक' का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

8. अपराधों का अन्वेषण–

1. कोई आबकारी अधिकारी, जो आबकारी निरीक्षक के पद से नीचे का न हो, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण कर सकता है, जो उस क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत किया गया हो, जिसमें वह अधिकारिता का प्रयोग करता है, और ऐसे अन्वेषण के बारे में उसकी शक्ति वही होगी, जो पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम संख्या 3, 1974) के अध्याय 12 के उपबन्धों के अधीन संज्ञेय मामले में होती है और वह विशेषतया किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना उक्त अन्वेषण कर सकता है।

2. अन्य बातों में गिरफ्तारी, तलाशी, वारंट, गिरफ्तार व्यक्तियों की पेशी और अपराधों के अन्वेषण से संबंधित उक्त संहिता के उपबन्ध, यथासंभव, इस अधिनियम के अधीन उनके संबंध में की गयी सभी कार्यवाहियों पर लागू होंगे।

9. **सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाही के लिए पारित्राण**–इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशपित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

10. अपराधों का शमन करने की शक्ति–

1. जिला मजिस्ट्रेट किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसेक विरूद्ध इस बात का युक्तियुक्त सन्देह हो कि उसने इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया है, ऐसे अपराध के लिए, जिसके बारे में यह सन्देह हो कि

उस व्यक्ति ने किया है, शमन स्वरूप ऐसी धनराशि, जिसे वह उचित समझे, ले सकता है।

2. जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी धनराशि का भुगतान करने पर संदिग्ध व्यक्ति यदि अभिरक्षा में हो, अन्मोचित कर दिया जायेगा और उसके विरूद्ध कोई अन्य कार्यवाही नहीं की जायेगी।

3. इस धारा के उपबन्ध यहां भी लागू होंगे जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अभियोजन या किसी अपराध के लिए दोष सिद्दि के विरूद्ध कोई अपील विचाराधीन हो, और ऐसे मामले में इस धारा के अधीन ऐसे अपराध के शमन के फलस्वरूप यह अभियुक्त, जिसके प्रति अपराध का शमन किया जाये, दोषमुक्त हो जायेगा।

11. **नियम बनाने की शक्ति**– राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

12. **निरसन और अपवाद**–

1. उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) अध्यादेश, 1976 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6, 1976) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

2. ऐसे निरसन या 1976 के उपर्युक्त अध्यादेश द्वारा उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) अध्यादेश, 1975 (उ0प्र0 अध्यादेश संख्या 33, 1975) के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेशों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया या की गयी कार्यवाही समझी जायेगी, मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल

संख्या 1498

देहरादून:दिनांक:मार्च 12 , 2001.

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा–21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (यू0पी0 अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा–41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल इस सम्बन्ध में प्रकाशित सभी पूर्व नियमों को, जहॉ तक वे इस नियमावली से असंगत हो, अतिक्रमित करके राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, उक्त अधिनियम की धारा–24 और 30 के अधीन नियत लाइसेंस फीस के आधार पर देशी शराब की फुटकर बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए लाइसेंस देने के सम्बन्ध में प्रतिफल और रीति अवधारित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तरांचल आबकारी (देशी शराब की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(एक) यह नियमावली उत्तरांचल आबकारी (देशी शराब की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 कही जायेगी ।

(दो) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषायें:–जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात विरूद्ध न हो, इस नियमावली में,

(क) अधिनियम का तात्पर्य समय–समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है,

(ख) देशी शराब में देशी स्प्रिट तथा मसालेदार देशी मदिरा भी सम्मिलित है, जिसकी एल्कोहल तीव्रता 32 प्रतिशत आयतन/आयतन होगी, जिसे उत्तरांचल की देशी मदिरा की फुटकर दुकानों से बेचा जायेगा ।

(ग) आबकारी वर्ष का तात्पर्य एक अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कैलैण्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है,

(घ) परिवार का तात्पर्य दम्पत्ति (पति या पत्नी), अवयस्क पुत्र/पुत्रों अविवाहित पुत्री/ पुत्रियां और इसमें आश्रित माता–पिता सम्मिलित हैं,

(ञ) प्रपंत्र का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है,

(च) लाइसेंस प्राधिकारी का तात्पर्य जिले के कलेक्टर से है,

(छ) लाइसेंस फीस का तात्पर्य अधिनियम की धारा 24 के अधीन फुटकर बिक्री की दुकान से देशी शराब की बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर सम्पूर्ण आबकारी वर्ष या उसके भाग के लिए लाइसेंस दिये जाने हेतु प्रतिफल के रूप में ली जाने वाली नियत राशि से है,

(ज) न्यूनतम मास–वार प्रत्याभूत मात्रा का तात्पर्य आबकारी आयुक्त द्वारा जारी सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित और लाइसेंसधारी द्वारा फुटकर बिक्री के प्रयोजनार्थ आबकारी वर्ष के किसी मास में अपनी फुटकर दुकान के लिए उसके द्वारा उठाई जाने वाली प्रत्याभूत (मसालेदार देशी मदिरा के 32 प्रतिशत आयतन/आयतन के रूप में) देशी शराब की मात्रा से है,

(झ) वार्षिक प्रत्याभूत मात्रा का तात्पर्य किसी आबकारी वर्ष में किसी दुकान हेतु नियत मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के 12गुने से है,

(ञ) न्यूनतम मासिक प्रतिभूति ड्यूटी का मतलब प्रतिफल की उस राशि से है जो अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत स्वीकृत एकान्तिक विशेषाधिकार के अन्तर्गत मासिक न्यूनतम गारन्टीड मात्रा पर अधिनियम की धारा–28 के साथ पठित धारा–30 के अन्तर्गत 32 प्रतिशत आयतन/आयतन की देशी मसालेदार मदिरा पर राज्य सरकार द्वारा घोषित दर पर देय होगा ।

3. **फुटकर बिकी के लिए अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन**–(क) इस नियमावली के उपबन्धों और लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि के भुगतान के अधीन रहते हुए, देशी शराब की बिकी के लिए फुटकर दुकान का इसमें विनिर्दिष्ट निर्धारित फीस प्रणाली द्वारा व्यवस्थापन या पुनर्व्यवस्थापन किया जायेगा ।

(ख) भू–गृहादि के अंदर और उसके बाहर दोनों ही प्रकार से उपयोग के लिए मुहरबन्द बोतलों और पाली पाउचों में देशी शराब की फुटकर बिकी के लिए लाइसेंस प्रपत्र दे0श0 5–ग में स्वीकृत किया जायेगा ।

4. **फुटकर बिकी की दुकानों की संख्या व स्थान के निर्धारण की शक्ति**– राज्य सरकार या आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर निर्गत सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अधीन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा दुकानों की संख्या निर्धारित की जायेगी । दुकानों की स्थिति समय–समय पर यथा संशोधित ''आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली, 1968'' के प्राविधानों के अनुसार होगी । जनपद की प्रत्येक दुकान के लिये न्यूनतम मासिक गारन्टीड मात्रा का निर्धारण भी लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

5. **लाइसेंस की अवधि**– लाइसेंस की अवधि एक आबकारी वर्ष अथवा उसके भाग, जिसके लिए लाइसेंस स्वीकृत किया गया है, होगी ।

6. **लाइसेंस फीस और प्रतिभूति राशि का भुगतान**–प्रपत्र दे0श0 5ग में लाइसेंस एक आबकारी वर्ष या उसके भाग के लिये निम्नानुसार भुगतान के उपरान्त् स्वीकृत किये जायेंगेः–

(अ) दुकान के व्यवस्थापन के समय लाइसेंस फीस के निम्नलिखित दरों पर अग्रिम भुगतान करने पर,

श्रेणी	वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की श्रेणी बल्क लीटर में (मसालेदार देशी मदिरा 32 प्रतिशत आयतन/आयतन के टर्म में)	प्रति दुकान लाइसेंस फीस (रूपयों में)
1.	12,000 तक	50,000/–

2.	12,001 से 30,000 तक	1,00,000/–
3.	30,001 से 60,000तक	2,00,000/–
4.	60,001 से 1,00,000तक	4,00,000/–
5.	1,00,001 से 1,50,000 तक	6,00,000/–
6.	1,50,001 से 3,00,000 तक	8,00,000/–
7.	300,001 एवं ऊपर ।	10,00,000/–

(ब) दो माह के बराबर मासिक गारन्टीड ड्यूटी की राशि सरकारी खजाने में ब्याज रहित सिक्योरिटी के रूप में तथा एक माह की मासिक गारन्टीड ड्यूटी की राशि के बराबर बैंक गारन्टी जो किसी अनुसूचित बैंक से आबकारी आयुक्त या जिला आबकारी अधिकारी के नाम जारी की गई हो व दुकान से सम्बन्धित सभी सरकारी देयों की भुगतान अवधि तक वैध हो, दुकान के व्यवस्थापन के 15 दिन के भीतर अथवा जारी वर्ष के 31मार्च तक, जो भी पहले हो जमा कराई जायेगी । सिक्योरिटी की राशि का कम से कम 50 प्रतिशत भाग

दुकान व्यवस्थापन के समय व शेष बाद में उपरोक्तानुसार जमा कराया जायेगा ।

7. **देशी मदिरा की तीव्रता:–** 32 प्रतिशत एल्कोहल आयतन/आयतन की मसालेदार मदिरा।

8. **अनुज्ञापन की स्वीकृति के लिए आवेदन**–(क) जब कभी किसी क्षेत्र या स्थान में नया लाइसेंस स्वीकृत करना प्रस्तावित हो, लाइसेंस प्राधिकारी, दैनिक समाचार पत्रों, जिनका उस क्षेत्र में परिचालन हो, में व्यापक प्रचार के पश्चात् इस निमित्त आवेदन आमंत्रित करेंगे,

(ख)देशी मदिरा की फुटकर दुकानों की सूची जिनको लाइसेंस की स्वीकृति कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित है, दुकान–वार लाइसेंस फीस, धरोहर राशि, प्रतिभूति राशि और न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक मात्रा व मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्युटी

सहित, कलेक्टर के कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में प्रदर्शित की जायेगी,

(ग) लाइसेंस के लिए आवेदन–पत्र निर्धारित प्रारूप में दिये जायेंगे ।

(घ) आवेदन प्राप्ति के लिये नियत किया जाने वाला अन्तिम दिनांक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित होने के दिनांक से सात दिवस, से पूर्व न होगा ।

9. **आवेदकों के लिए पात्रता की शर्तें**– फुटकर देशी शराब की दुकान के लाइसेंस के लिए पात्र आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें अवश्य पूरी करनी होंगी, अर्थात्–

(क) भारत का नागरिक हो,

या

भागीदारी वाली फर्म जिसमें दो से अधिक भागीदार न हो और दोनों भागीदार भारत के नागरिक हों। दुकान/दुकानों के आवंटन के पश्चात् भागीदारी में कोई परिवर्तन अनुमन्य न होगा । तथापि यदि संयुक्त रूप से दो भागीदारों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो तो किसी एक भागीदार की मृत्यु की स्थिति में जीवित व्यक्ति मृतक के उत्तराधिकारी के साथ अनुज्ञापनधारी बना रहेगा या दोनों भागीदारों की मृत्यु की दशा में उनके उत्तराधिकारी अनुज्ञापनधारी बने रह सकते हैं । दोनों भागीदारों के वैधानिक उत्तरदायित्वों में कोई भेद नहीं किया जायेगा और दोंनों सम्मिलित रूप से तथा अलग–अलग उत्तरदायी होंगे ।

(ख) 21 वर्ष की आयु से अधिक हों,

(ग) बकायेदार/कालीसूची में सम्मिलित या अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गयी किसी नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो,

(घ) निम्नलिखित की पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा,

(एक) यह कि वह समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी की दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के प्राविधानों के अनुकूल उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है अथवा किराये पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध कर सकता है ।

(दो) यह कि दुकान के उसके प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है ।

(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है, और उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उनको संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम,1910 या स्वापक एवं मनः प्रभावी अधिनियम, 1985 अथवा वर्तमान

में प्रवृत्त किसी कानून के अन्तर्गत अथवा किसी संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दण्डित नहीं किया गया है ।

(चार) यह कि अनुज्ञापी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहॉ का वह निवासी है, के कलेक्टर द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण–पत्र लाइसेंस स्वीकृत होने के 30 दिन के अंदर प्रस्तुत करेगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है ।

(पांच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि बिन्दु तीन में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक या छुआ–छूत रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो ।

(छह) यह कि उस पर कोई लोक या राजकीय देयता का बकाया नहीं है ।

(सात) यह कि वह लाइसेंस की अवधि के भीतर किसी दूसरे व्यक्ति को अपना लाइसेंस सबलैट अथवा स्थानान्तरित नहीं करेगा ।

(ञ) यह कि जिला आबकारी अधिकारी अथवा आबकारी आयुक्त के पक्ष में किसी अनुसूचित बैंक से जारी किया गया बैंक ड्राफ्ट धरोहर धनराशि के रूप में प्रस्तुत करेंगा । धरोहर धनराशि लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत होगी अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित की जायेगी। आवेदक के अनुज्ञापी के रूप में चयन हो जाने पर धरोहर धनराशि का अनुज्ञापन फीस में समायोजित कर लिया जायेगा । अन्य मामलों में चयन प्रक्रिया पूरी होने के उपरान्त् इसे उसी रूप में आवेदक को लौटा दिया जायेगा ।

10. **लाइसेंस के लिए जिला स्तरीय समिति**– देशी शराब की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापियों के चयन हेतु एक जिला स्तरीय समिति होगी । समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्–

(एक) जिले का कलेक्टर	अध्यक्ष
(दो) आबकारी आयुक्त द्वारा नामित एक राजपत्रित अधिकारी	सदस्य
(तीन) जिले का जिला आबकारी अधिकारी सदस्य/सचिव	

11. **अनुज्ञापी का चयन** :–

(क) जिला आबकारी अधिकारी सभी प्राप्त आवेदनों की एक सूची अनुज्ञापन के लिये जिलास्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए संक्षिप्त रिपोर्ट के साथ तैयार करेगा ।

(ख) उक्त समिति आवेदकों की सूची में से जांच के उपरान्त् उपयुक्त आवेदकों का दुकानवार चयन करेगी, इस प्रक्रिया के दौरान कमेटी ऐसी जांच कर सकती है अथवा करवा सकती है, जिसे वह ऊपर नियम–9 के प्राविधानों के पालन हेतु आवश्यक समझे ।

निरस्त किये गये प्रार्थना–पत्रों की भी एक सूची बनायी जायेगी, जिसमें प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने के कारण अंकित किये जायेंगें।

अगर किसी दुकान के लिये एक से अधिक उपयुक्त आवेदक हो और उनमें से एक उत्तरांचल का निवासी हो तो सब अन्य बातें समान होते हुए उत्तरांचल के आवेदक को सीधे प्राथमिकता दी जायेगी ।

जहां एक से अधिक आवेदक उत्तरांचल के हों तो कमेटी ऐसी दुकानों के लिए केवल उत्तरांचल के आवेदकों के मध्य ही लाटरी के माध्यम से अनुज्ञापी का चयन करेगी । अन्य मामलो में जहां उत्तरांचल का कोई आवेदक न हो, सभी आवेदकों में से लाइसेंसी का चयन पब्लिक लाटरी के माध्यम से किया जायेगा ।

आवेदक यह सुनिश्चित करेंगें कि पब्लिक लाटरी के दौरान स्वयं या उनका कोई अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहे जिससे उसे अपने चयन/व्यवस्थापन की जानकारी मिल सके ।

यदि चयनित आवेदक अपेक्षित धनराशि जमा नहीं करेगा और विहित औपचारिकतायें पूरी नहीं करेगा या नियत अवधि में दुकान हेतु उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करनेमें अक्षम रहेगा तो लाइसेंस प्राधिकारी आवंटन को निरस्त कर देगा और दुकान के लिये जमा की गयी धरोहर राशि लाइसेंस फीस और सिक्योरिटी की राशि जब्त कर लेगा और दुकान के पुनर्व्यवस्थापन हेतु कार्यवाही करेगा ।

स्पष्टीकरण :– कोई आवेदक उत्तरांचल का निवासी तब ही माना जायेगा, यदि वह निम्नलिखित शर्तों में से कम से कम एक को पूरा करता हो:–

(i) अगर वह राज्य के डोमेसाइल होने अथवा राज्य का स्थाई निवासी होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करता है ।

(ii) अगर वह राज्य के किसी वार्ड की वोटर लिस्ट की ऐसी प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत कर देता है जिसमें उसका नाम सम्मिलित हो ।

(iii) अगर वह उत्तरांचल में अपने जन्म का प्रमाण–पत्र अथवा परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति उत्तरांचल का निवासी होने के प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत कर देता है ।

(iv) अगर वह उत्तरांचल में जारी अपने राशनकार्ड की प्रमाणित छाया प्रति राज्य का निवासी होंने के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर देता है ।

(v) अगर वह उत्तरांचल में जारी अपना ड्राइविंग लाइसेंस राज्य का निवासी होने के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर देता है । या

(vi) इसके अतिरिक्त वह उत्तरांचल निवासी होने का कोई और अभिलेख प्रस्तुत कर देता है जिससे सम्बंधित जिले के जिलाधिकारी संतुष्ट हो जायें ।

(ग) एक जनपद में एक व्यक्ति को अधिकतम तीन दुकानें ही आवंटित की जा सकती हैं ।

(घ) अगर किसी विशिष्ट दुकान के लिए कोई आवेदन पत्र प्राप्त न हो या दुकान के लिए कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाये, तो लाइसेंस प्राधिकारी दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु तुरन्त कार्यवाही करेगा । पुर्नव्यवस्थापन की प्रक्रिया के दौरान पहला व्यवस्थापन पूरा होने के तुरन्त बाद चयन समिति ऐसे व्यक्तियों को जो प्रारम्भिक जांच में सही पाये गये परन्तु जिन्हें कोई दुकान आवंटित नहीं हो पायी, अवशेष दुकानों हेतु निर्धारित प्रारूप में नये प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का अवसर देगी । इस स्थिति में किसी दुकान के आवंटन हेतु पूर्व में जमा राशि को नयी दुकानों के आवेदन पत्र हेतु जमा किया गया माना जायेगा ।

इस प्रकार प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर समिति दुकान का व्यवस्थापन निर्धारित व्यवस्था के अनुसार करेगी और यदि इस प्रकार का कोई प्रार्थना–पत्र प्राप्त नहीं होता है तो लाइसेसिंग अधिकारी व्यवस्थापित दुकान/दुकानों के व्यवस्थापन हेतु इस नियमावली के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करेंगें।

12. व्यवस्थित की गयी दुकानों का विवरण– जिला आबकारी अधिकारी व्यवस्थापन के 15 दिन के अंदर व्यवस्थित की गयी दुकानों का विवरण आबकारी आयुक्त को भेजेगा जिसमें अनुज्ञापियों के नाम और पते दुकानवार प्रतिभूति धनराशि और लाइसेंस फीस के रूप में जमा की गयी राशि का विवरण होगा ।

13. लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान– यदि किसी आवेदक का लाइसेंसधारी के रूप में चयन किया जायेगा तो वह नियम 6(ब) की व्यवस्था के अनुसार अपने चयन की सूचना पाने के दो दिन (अधिकतम अगले दिवस 5. 00बजे सायं तक) के अंदर लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति की आधी धनराशि जमा करेगा और प्रतिभूति की अवशेष धनराशि 15 दिन के अंदर अथवा 31 मार्च तक जो भी पहले हो जमा करेगा । यदि वह निर्धारित समय में लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहेगा तो उसका चयन निरस्त हो जायेगा और उसकी धरोहर धनराशि लाइसेंस फीस व प्रतिभूति की राशि राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और उक्त दुकान का तत्काल पुनर्व्यवस्थापन कर दिया जायेगा । व्यतिक्रमी को भविष्य में प्रदेश में कहीं भी कोई आबकारी अनुज्ञापन प्राप्त करने से विवर्जित कर दिया जायेगा । इस नियम के अन्तर्गत ऐसे व्यतिक्रमियों की समेकित सूची उनके पूरे पते सहित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आबकारी आयुक्त को भेजी जायेगी, जो राज्य की समेकित सूची को राज्य के सभी लाइसेंस प्राधिकारियों को प्रसारित करेगा।

14 शराब का उठानः– इस नियमावली के अधीन लाइसेंसधारी देशी शराब के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान जिसके अन्तर्गत सभी कर, शुल्क और उपकर, जो समय–समय उद्ग्रहीत किए जाए, करने के पश्चात् जनपद के देशी मदिरा के बंधित गोदाम से देशी शराब की आपूर्ति प्राप्त करेगा । लाइसेंसधारी मॉग पत्र कम से कम 72 घंटे पूर्व जिले में बंधित गोदाम के आबकारी निरीक्षक को प्रस्तुत करेगा, जिससे वह देशी शराब की आपूर्ति प्राप्त करना चाहता है। बंधित

गोदाम का आबकारी निरीक्षक जिसके पास मॉग–पत्र प्रस्तुत किया गया है, प्राप्ति का समय व तिथि अंकित करेगा तथा मांगी गई शराब की मात्रा की आपूर्ति मॉग पर प्राप्ति के 48 घंटे के अंदर सुनिश्चित करेगा । यदि जनपद के देशी मदिरा के बंधित गोदाम में निकासी हेतु मदिरा उपलब्ध नहीं होती है तो जिला आबकारी अधिकारी देशी शराब की मांगी गई मात्रा की आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था ऐसे मांग पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर राज्य के किसी अन्य जिले से जहॉ ऐसी आपूर्ति उपलब्ध हो, करेगा ।

15. मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठानः– अनुज्ञापी किसी माह के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठान माह के अंतिम कार्य दिवस तक कर सकता है । अन्तिम कार्य दिवस के उपरान्त मदिरा की जो मात्रा छूट जायेगी उसे जब्त कर लिया जायेगा । परन्तु उन मामलों में जहॉ लाइसेंसी ने निकासी हेतु माह के भीतर इन्डेन्ट व मदिरा का मूल्य सभी देय डयुटी टैक्सों आदि सहित जमा करा दिया हो, जिला आबकारी अधिकारी अगले माह की 3 तारीख तक मदिरा के उठान की अनुमति दे सकते हैं ।

उन मामलों में जहां अनुज्ञापी ने किसी माह हेतु निर्धारित समस्त न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठान कर लिया हो और उसकी दुकान में मदिरा की बिक्री की और आवश्यकता हो, अनुज्ञापी को मासिक न्यूनतम गारन्टीड मात्रा के 20 प्रतिशत के बराबर मदिरा के उठान की अनुमति, दुकान के लिए निर्धारित प्रति लीटर न्यूनतम गारन्टीड ड्यूटी की राशि का अतिरिक्त भुगतान करने के उपरान्त् दे दी जायेगी ।

उन मामलों में जहॉ अनुज्ञापी न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के 120 प्रतिशत से अधिक मदिरा का उठान करना चाहेगा उसे यह अनुमति बढ़ी दर पर, जैसा कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में अधिसूचित करें, अतिरिक्त एक्साइज ड्युटी जमा करनी होगी ।

16. न्यूनतम गारन्टीड मासिक अभिकर जमा करना और सिक्योरिटी राशि में कमी को पूरा करने में विफलता के परिणाम :– लाइसेंसधारी देशी मदिरा पर

देय मासिक गारन्टीड ड्यूटी की सम्पूर्ण राशि का भुगतान माह की 25 तारीख तक कर देंगे । अगर वह सम्पूर्ण देय ड्यूटी की राशि माह की 25 तारीख तक जमा करने में असफल रहता है तो जिला आबकारी अधिकारी जमा न करी गयी राशि को प्रतिभूति की राशि में से समायोजित करेगा और तत्काल लाइसेंसधारी को प्रतिभूति की राशि में आयी कमी को अगले माह की 5 तारीख तक पूरा करने हेतु कहेगा। अगर लाइसेंसधारी प्रतिभूति की राशि में आयी कमी को अगले माह के 5 तारीख तक पूरा करने में असफल रहता है तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा और लाइसेंसिंग प्राधिकारी पूर्व अनुज्ञापी के रिस्क पर दूकान/दुकानों को पुर्नव्यवस्थापित कराने हेतु स्वतंत्र होंगे ओर इस पुर्नव्यवस्थापन के फलस्वरूप राजस्व में आयी किसी कमी को पूर्व अनुज्ञापी से भू–राजस्व के बकाये की तरह वसूला जा सकेगा।

17. **बिक्री की अवधि और दुकानों की बन्दी**– अनुज्ञापित परिसर, 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निश्चित तीन और दिवसों के अतिरिक्त, सभी दिवसों पर प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक बिक्री के लिए खुला रहेगा । लाइसेंस प्राधिकारी कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बंधित गतिविधियों के लिए सम्बंधित कानून के प्राविधानों के अधीन दुकान की बंदी का आदेश दे सकता है । उपरोक्त आधार पर दुकान की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा ।

18. **लाइसेंस कीसमाप्ति पर बचे अवशेष स्टाक का निस्तारण**– लाइसेंसधारी द्वारा अनुज्ञापन अवधि की समाप्ति पर देशी शराब के अवशेष और अविक्रीत मात्रा की घोषणा लाइसेस प्राधिकारी के समक्ष अगले दिन की जायेगी और लाइसेंस की समाप्ति के अगले दिवस को 5 बजे शाम तक जिले के देशी मदिरा बंधित गोदाम को लौटा दी जायेगी । लाइसेंसधारी, केवल क्रय मूल्य जिसमें शुल्क और अन्य कर सम्मिलित नहीं होगा, पाने का हकदार होगा । ऐसे

स्टाक का निस्तारण इस सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त के आदेशों के अनुरूप किया जायेगा ।

19. अनुज्ञापन का अभ्यर्पण– अनुज्ञापी, अधिनियम की धारा–36 के उपबन्धों के अधीन अपने अनुज्ञापन का अभ्यर्पण लाइसेंस प्राधिकारी को कम से कम एक मास का लिखित नोटिस देकर कर सकता है । ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर लाइसेंस प्राधिकारी, उसकी जमा प्रतिभूति से समस्त अवशेष आबकारी देयों की वसूली करने की कार्यवाही करेगा । लाइसेंस प्राधिकारी अविलम्ब आबकारी वर्ष की शेष अवधि के लिए दुकान के पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही भी आरम्भ करेगा । इस पुर्नव्यवस्थापन में आयी राजस्व की किसी कमी को पूर्व लाइसेंसी से भू–राजस्व को बकाये के समान वसूलनीय होगा ।

20. अनुज्ञापन का निलम्बन और निरस्तीकरण और शास्तियॉः–(1) लाइसेंस प्राधिकारी अनुज्ञापन को निलम्बित या निरस्त कर सकता है–

(क) यदि अनुज्ञापित परिसर में कोई बोतल या पाउच पाया जाय, जिस पर शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है और जिस पर आबकारी आयुक्त द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सिक्योरिटी होलोग्राम नहीं लगाया गया है ।

(ख) यदि अनुज्ञापित परिसर में किसी अन्य प्रकार की शराब या मादक औषधि (जिसके लिए अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं किया गया है) पाई जाती है,

(ग) यदि अनुज्ञापी द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत शपथ–पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और उसमें किया गया कथन असत्य पाया जाता है,

(घ) यदि अनुज्ञापी अधिनियम या राजस्व सम्बन्धी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध में या किसी संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में या स्वापक औषधियों मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 482 से 489 के अधीन अपराध में दण्डित पाया जाता है, और,

(ड.) यदि अनुज्ञापी किसी मास के दौरान मासिक न्यूनतम प्रत्याभूति ड्यूटी जमा करने में विफल रहता है और प्रतिभूति राशि में आई कमी को निर्धारित अवधि में जैसा कि ऊपर नियम–16 में वर्णित है, को पूरा करने में विफल रहता है ।

(2) ऊपर उल्लिखित आधार पर लाइसेन्स प्राधिकारी तत्काल अनुज्ञापन निलम्बित कर देगा और जमा प्रतिभूति को जब्त कर लेगा । लाइसेन्स प्राधिकारी अनुज्ञापन को निरस्त करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी करेगा और लाइसेंसधारी अपना स्पष्टीकरण नोटिस की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा । तत्पश्चात् लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंसधारी को, यदि वह चाहे तो सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् समुचित आदेश पारित करेगा ।

(3) लाइसेंसधारी, इस नियम के अधीन अनुज्ञापन के निलम्बन या निरस्तीकरण के लिए किसी प्रतिकर या वापसी का दावा करने का हकदार नहीं होगा ।

(4) यदि ऊपर लिखित आधार पर अनुज्ञापन निरस्त किया जाय तो लाइसेंसधारी को काली सूची में भी डाला जा सकता है तथा भविष्य में कोई आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित किया जा सकता है ।

(5) उपरोक्त के अतिरिक्त अनुज्ञापनधारक पर तत्सम्बन्धी विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही भी की जा सकेगी । लाइसेंस शर्तों के अन्य उल्लंघनों के मामले तत्सम्बन्धी एक्ट व नियमों के प्राविधानों के अनुसार सक्षम अधिकारियों द्वारा तय किये जायेंगे ।

21. **विखण्डन और अपवाद**–(1) अद्यतन संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी लाइसेंस (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली, 1991 जो आबकारी आयुक्त

की अधिसूचना संख्या 10702 / दस–97बी–लाइसेंस–91–92, दिनांक 23 फरवरी, 1991 के साथ प्रकाशित की गयी एतद्द्वारा विखण्डित की जाती है।

(2) ऐसे विखण्डन के होते हुए भी उपनियम (1) में निर्दिष्ट नियम के प्राविधानों के अधीन देशी शराब की दुकान या दुकानों के समूह के लिए वित्तीय वर्ष 2000–01 के लिए पहले से निष्पादित व्यवस्थापन विधि मान्य रहेगा और 31 मार्च, 2001 तक लागू रहेगा ।

(सुभाष कुमार)
आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल।

टिप्पणी : –

1. उत्तरांचल गजट, अतिरिक्त भाग– IV, खण्ड (क) दि0 12 मार्च 2001 में प्रकाशित, उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) नियम–2001, निम्नलिखित नियमों द्वारा संशोधित किये गये हैं : –

(1) पहला संशोधन : – उत्तरांचल गजट अतिरिक्त, भाग–4 IV, खण्ड–(क) दि0 27 मार्च 2001 में प्रकाशित उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) नियम–2001।

(2) दूसरा संशोधन : – उत्तरांचल गजट अतिरिक्त, भाग–4 IV, खण्ड–(क) दि0 जुलाई 2001 में प्रकाशित उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (द्वितीय संशोधन) नियम–2001।

(3) तीसरा संशोधन : – उत्तरांचल गजट अतिरिक्त, भाग–4 IV, खण्ड–(क) दि0 14 सितम्बर 2001 में प्रकाशित उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (तृतीय संशोधन) नियम–2001 (देखिये आबकारी आयुक्त की अधिसूचना सं0 1194/एस0टी0 दि0 14 सितम्बर 2001)।

(4) चौथा संशोधन : – उत्तरांचल गजट अतिरिक्त, भाग–4 IV, खण्ड–(क) दि0 14 सितम्बर 2001 में प्रकाशित उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (चतुर्थ संशोधन) नियम–2001 (देखिये आबकारी आयुक्त की अधिसूचना सं0 1195/एस0टी0 दि0 14 सितम्बर 2001)।

(5) पांचवां संशोधन : – उत्तरांचल गजट अतिरिक्त, भाग–4 IV, खण्ड–(क) दि0 27 अप्रैल 2002 में प्रकाशित उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (पंचम संशोधन) नियम–2002।

(6) छठा संशोधन : – उत्तरांचल गजट अतिरिक्त, भाग–4 IV, खण्ड–(क) दि0 28 अप्रैल 2003 में प्रकाशित उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (छठा संशोधन) नियम–2003।

(7) सातवां संशोधन : – उत्तरांचल गजट अतिरिक्त, भाग– IV, खण्ड–(क) दि0 10 मई 2006 में प्रकाशित उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (सातवां संशोधन) नियम–2004।

(8) आठवां संशोधन : – उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (आठवां संशोधन) नियम–2005।

(9) नौवां संशोधन : – उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (नौवां संशोधन) नियम–2005।

(10) दसवां संशोधन : – उत्तरांचल गजट अतिरिक्त, भाग– IV, खण्ड–(क) दि0 10 मई 2006 में प्रकाशित उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (दसवां संशोधन) नियम–2006।

देशी मदिरा की (भू गृहादि पर और उसके बाहर उपभोग के लिये फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन दे0म0 5 ग हेतु आवेदन पत्र)

आवेदन पत्र

पंजीकरण संख्या .... आबकारी वर्ष

(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

आवेदित दुकान का विवरण

1. जनपद का नाम ....
2. दुकान का नाम .... थाना .... तहसील ....
3. अनुज्ञापन शुल्क रू0 .... शब्दों में .... (अंकों में) ....
4. मदिरा की.......................... से......................... तक के लिये निर्धारित अधिभार की राशि रू0.......................................
5. धरोहर राशि (रू0).......................(शब्दों में).....................................(अंकों में).................
6. प्रतिभूति धनराशि (रू0)....................(शब्दों में)..............................(अंकों में)..................

आवेदक का विवरण

1. आवेदक का नाम :
2. पिता / पति का नाम :
3. लिंग : पुरूष / महिला :
4. स्थायी पता :

दुकान नम्बर	आवेदक का प्रमाणित फोटोग्राफ :
मोहल्ला ग्राम	
थाना	
तहसील	
जनपद / राज्य	
दूरभाष	

6. जमा धरोहर धनराशि का विवरण : –

(अ) बैंक ड्राफ्ट / पे आर्डर संख्या व दिनांक...

(ब) बैंक का नाम ....

उपरोक्त विवरण मेरी / कोआपरेटिव सोसायटी / सहकारी संस्था की जानकारी से पूर्णतः सही है। यदि उपरोक्त असत्य या गलत पाया जाये तो मेरा / कोआपरेटिव सोसायटी / सहकारी संस्था का प्रार्थना पत्र निरस्त करने योग्य होगा व धरोहर राशि जब्त करने योग्य होगी। यदि उपरोक्त विवरण अनुज्ञापन जारी करने के उपरान्त असत्य या गलत पाया जाता है तो मेरा / कोआपरेटिव सोसायटी / सहकारी संस्था का अनुज्ञापन निरस्त करने योग्य होगा तथा साथ ही मेरी / कोआपरेटिव सोसायटी / सहकारी संस्था की लाईसेन्स फीस एवं प्रतिभूति की धनराशि भी जब्त

करने योग्य होगी। मैं/कोआपरेटिव सोसायटी/संस्था इस तथ्य से भिज्ञ हूँ/हैं कि असत्य या गलत विवरण देना दण्डनीय अपराध है।

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (सातिथि)

(प्रार्थना पत्र प्राप्ति रसीद)

श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पत्नी/पुत्री ....निवासी .... का देशी मदिरा/विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर दुकान.. हेतु प्रार्थना पत्र धरोहर धनराशि बैंक ड्राफ्ट व शपथ पत्र के साथ प्राप्त किया गया जिसे रजिस्टर के क्रमांक..... ..पर दर्ज किया गया।

दिनांक : –
आबकारी अधिकारी द्वारा   कार्यालय सील   अधिकृत के हस्ताक्षर
समय : –

उत्तरांचल शासन

कार्यालय, आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल

संख्या 1499

देहरादून:दिनांक:मार्च 12 , 2001.

<u>अधिसूचना</u>

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा–21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (यू0पी0 अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा–41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल इस सम्बन्ध में प्रकाशित सभी पूर्व नियमों को, जहाँ तक वे इस नियमावली से असंगत हो, अतिक्रमित करके राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, उक्त अधिनियम की धारा–24A और 30 के अधीन नियत लाइसेंस फीस के आधार पर देशी शराब की फुटकर बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए लाइसेंस देने के सम्बन्ध में प्रतिफल और रीति अवधारित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तरांचल आबकारी (विदेशी शराब एवं बियर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(एक) यह नियमावली उत्तरांचल आबकारी (विदेशी शराब एवं बियर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 कही जायेगी ।

(दो) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषायें:–जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात विरूद्ध न हो, इस नियमावली में,

(क) अधिनियम का तात्पर्य समय–समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है,

(ख) "विदेशी शराब" का तात्पर्य और इसमें भारत में आयात की गयी स्प्रिट या मदिरा अथवा भारत में बनायी गयी इस प्रकार परिष्कृत या रंजित स्प्रिट या मदिरा, जिससे कि वह सुगन्ध और रंग में भारत में आयातित मदिरा के सदृष्य मालूम हो और उसमें माल्ट स्प्रिट, व्हिस्की, रम ब्राण्डी, जिन, वोदका और मदिरा (लिक़्युअर) सम्मिलित है ।

(ग) बियर में एल, स्टाउट, पोर्टर तथा माल्ट से बनी अन्य सभी किण्वत शराब सम्मिलित है ।

(घ) आबकारी वर्ष का तात्पर्य एक अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कैलैण्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है,

(ञ) परिवार का तात्पर्य दम्पत्ति (पति या पत्नी), अवयस्क पुत्र/पुत्रों, अविवाहित पुत्री/ पुत्रियां और इसमें आश्रित माता–पिता सम्मिलित हैं,

(च) प्रपत्र का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है,

(छ) लाइसेंस प्राधिकारी का तात्पर्य जिले के कलेक्टर से है,

(ज) लाइसेंस फीस का तात्पर्य अधिनियम की धारा–24A के अधीन फुटकर बिक्री की दुकान से विदेशी शराब और बियर की बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर सम्पूर्ण आबकारी वर्ष या उसके भाग के लिए लाइसेंस दिये जाने हेतु प्रतिफल के रूप में ली जाने वाली नियत राशि से है,

(झ) न्यूनतम मास–वार प्रत्याभूत मात्रा का तात्पर्य आबकारी आयुक्त द्वारा जारी सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित और लाइसेंसधारी द्वारा फुटकर बिक्री के प्रयोजनार्थ आबकारी वर्ष के किसी मास में अपनी फुटकर दुकान के लिए उसके द्वारा एफ0एल0–2 से उठाई जाने वाली बोतलों में (750मिलीलीटर धारिता की) विदेशी शराब की मात्रा से है,

(न) वार्षिक प्रत्याभूत मात्रा का तात्पर्य किसी आबकारी वर्ष में किसी दुकान हेतु नियत मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के 12गुने से है,

(ञ) न्यूनतम मासिक प्रतिभूति ड्यूटी का मतलब प्रतिफल की उस राशि से है जो अधिनियम की धारा 24A के अन्तर्गत स्वीकृत एकान्तिक विशेषाधिकार के अन्तर्गत समस्त "मासिक न्यूनतम गारन्टीड मात्रा" पर अधिनियम की धारा–28 के साथ पठित धारा–30 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विदेशी दिरा पर घोषित ड्यूटी की दर पर देय होगी ।

3. **फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन**–(क) इस नियमावली के उपबन्धों और लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि के भुगतान के अधीन रहते हुए, विदेशी शराब और बियर की बिक्री के लिए फुटकर दुकान का इसमें विनिर्दिष्ट निर्धारित फीस प्रणाली द्वारा व्यवस्थापन या पुनर्व्यवस्थापन किया जायेगा ।

(ख) भू–गृहादि के बाहर उपयोग के लिए मुहरबन्द बोतलों में विदेशी शराब और बियर की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस प्रपत्र वि0म0–5–ग में स्वीकृत किया जायेगा ।

4. **फुटकर बिक्री की दुकानों की संख्या व स्थान के निर्धारण की शक्ति**– राज्य सरकार या आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर निर्गत सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अधीन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा दुकानों की संख्या निर्धारित की जायेगी । दुकानों की स्थिति समय–समय पर यथा संशोधित "आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली, 1968" के प्राविधानों के अनुसार होगी ।

5. **लाइसेंस की अवधि**– लाइसेंस की अवधि एक आबकारी वर्ष अथवा उसके भाग, जिसके लिए लाइसेंस स्वीकृत किया गया है, होगी ।

6. **लाइसेंस फीस और प्रतिभूति राशि का भुगतान**—प्रपत्र वि0म0—5ग में लाइसेंस एक आबकारी वर्ष या उसके भाग के लिये निम्नानुसार भुगतान के उपरान्त् स्वीकृत किये जायेंगेः—

(अ) दुकान के व्यवस्थापन के समय लाइसेंस फीस के निम्नलिखित दरों पर अग्रिम भुगतान करने पर,

श्रेणी	वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (श्रेणी 750एम0एल0बोतल में विदेशी मदिरा)	प्रति दुकान लाइसेंस फीस (रूपयों में)
1.	6,000 बोतल तक	50,000/—
2.	6,001 से 12,000बोतल तक	1,00,000/—
3.	12,001 से 25,000बोतल तक	2,00,000/—
4.	25,001 से 50,000 बोतल तक	4,00,000/—
5.	50,001 से 75,000 बोतल तक	6,00,000/—
6.	75,001 से 1,00,000 बोतल तक	8,00,000/—
7.	1,00,001 बोतल एवं ऊपर	10,00,000/—

(ब) दो माह के बराबर मासिक गारन्टीड ड्यूटी की राशि सरकारी खजाने में ब्याज रहित सिक्योरिटी के रूप में तथा एक माह की मासिक गारन्टीड ड्यूटी की राशि के बराबर बैंक गारन्टी जो किसी अनुसूचित बैंक से आबकारी आयुक्त या जिला आबकारी अधिकारी के नाम जारी की गई हो व दुकान से सम्बन्धित सभी सरकारी देयों की भुगतान अवधि तक वैध हो, दुकान के व्यवस्थापन के 15 दिन के भीतर अथवा जारी वर्ष के 31मार्च तक, जो भी पहले हो जमा कराई जायेगी । सिक्योरिटी की राशि का कम से कम 50 प्रतिशत भाग

दुकान व्यवस्थापन के समय व शेष बाद में जैसा कि ऊपर निर्धारित किया गया है, जमा कराया जायेगा ।

7. **अनुज्ञापन की स्वीकृति के लिए आवेदन**—(क) जब कभी किसी क्षेत्र या स्थान में नया लाइसेंस स्वीकृत करना प्रस्तावित हो, लाइसेंस प्राधिकारी, दैनिक

समाचार पत्रों, जिनका उस क्षेत्र में परिचालन हो, में व्यापक प्रचार के पश्चात् इस निमित्त आवेदन आमंत्रित करेंगे,

(ख) विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर दुकानों की सूची जिनको लाइसेंस की स्वीकृति कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित है, दुकान–वार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति राशि आदि सहित, कलेक्टर के कार्यालय, तहसील कार्यालय और जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में प्रदर्शित की जायेगी,

(ग) लाइसेंस के लिए आवेदन–पत्र निर्धारित प्रारूप में दिये जायेंगे ।

(घ) आवेदन प्राप्ति के लिये नियत किया जाने वाला अन्तिम दिनांक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित होने के दिनांक से सात दिवस, से पूर्व न होगा ।

8. **आवेदकों के लिए पात्रता की शर्तें**– फुटकर विदेशी शराब और बियर की दुकान के लाइसेंस के लिए पात्र आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें अवश्य पूरी करनी होंगी, अर्थात्–

(क) भारत का नागरिक हो,

या

भागीदारी वाली फर्म जिसमें दो से अधिक भागीदार न हो और दोनों भागीदार भारत के नागरिक हों। दुकान/दुकानों के आवंटन के पश्चात् भागीदारी में कोई परिवर्तन अनुमन्य न होगा । तथापि यदि संयुक्त रूप से दो भागीदारों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो तो किसी एक भागीदार की मृत्यु की स्थिति में जीवित व्यक्ति मृतक के उत्तराधिकारी के साथ अनुज्ञापनधारी बना रहेगा या दोनों भागीदारों की मृत्यु की दशा में उनके उत्तराधिकारी अनुज्ञापनधारी बने रह सकते हैं । दोनों भागीदारों के वैधानिक उत्तरदायित्वों में कोई भेद नहीं किया जायेगा और दोंनों सम्मिलित रूप से तथा अलग–अलग उत्तरदायी होंगे ।

(ख) 21 वर्ष की आयु से अधिक हों,

(ग) बकायेदार/कालीसूची में सम्मिलित या अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गयी किसी नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो,

(घ) निम्नलिखित की पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा,

(एक) यह कि वह समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी की दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के प्राविधानों के अनुकूल उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है अथवा किराये पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध कर सकता है ।

(दो) यह कि दुकान के उसके प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है ।

(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है, और उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उनको संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम,1910 या स्वापक एवं मनः प्रभावी अधिनियम, 1985 अथवा वर्तमान में प्रवृत्त किसी कानून के अन्तर्गत अथवा किसी संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दण्डित नहीं किया गया है ।

(चार) यह कि अनुज्ञापी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहॉ का वह निवासी है, के कलेक्टर द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण–पत्र लाइसेंस स्वीकृत होने के 30 दिन के अंदर प्रस्तुत करेगा कि उसका एवं उसके परिवार

के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है ।

(पांच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि

बिन्दु तीन में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक या छुआ–छूत रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो ।

(छह) यह कि उस पर कोई लोक या राजकीय देयता का बकाया नहीं है ।

(सात) यह कि वह लाइसेंस की अवधि के भीतर किसी दूसरे व्यक्ति को अपना लाइसेंस सबलैट अथवां स्थानान्तरित नहीं करेगा ।

(ञ) यह कि वह जिला आबकारी अधिकारी अथवा आबकारी आयुक्त के पक्ष में किसी अनुसूचित बैंक से जारी किया गया बैंक ड्राफ्ट धरोहर धनराशि के रूप में प्रस्तुत करेंगा । धरोहर धनराशि लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत होगी अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित की जायेगी। आवेदक के अनुज्ञापी के रूप में चयन हो जाने पर धरोहर धनराशि का अनुज्ञापन फीस में समायोजित कर लिया जायेगा । अन्य मामलों में चयन प्रक्रिया पूरी होने के उपरान्त् इसे उसी रूप में आवेदक को लौटा दिया जायेगा ।

9. **लाइसेंस के लिए जिला स्तरीय समिति**– विदेशी शराब तथा बियर की फुटकर बिकी के अनुज्ञापियों के चयन हेतु एक जिला स्तरीय समिति होगी । समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्–

(एक)	जिले का कलेक्टर	अध्यक्ष
(दो)	आबकारी आयुक्त द्वारा नामित एक राजपत्रित अधिकारी	सदस्य
(तीन)	जिले का जिला आबकारी अधिकारी	सदस्य/सचिव

10. अनुज्ञापी का चयन :–

(क) जिला आबकारी अधिकारी सभी प्राप्त आवेदनों की एक सूची अनुज्ञापन के लिये जिलास्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए संक्षिप्त रिपोर्ट के साथ तैयार करेगा ।

(ख) उक्त समिति आवेदकों की सूची में से जांच के उपरान्त् उपयुक्त आवेदकों का दुकानवार चयन करेगी, इस प्रक्रिया के दौरान कमेटी ऐसी जांच कर सकती है अथवा करवा सकती है, जिसे वह ऊपर नियम–8 के प्राविधानों के पालन हेतु आवश्यक समझे ।

निरस्त किये गये प्रार्थना–पत्रों की भी एक सूची बनायी जायेगी, जिसमें प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने के कारण अंकित किये जायेंगें।

अगर किसी दुकान के लिये एक से अधिक उपयुक्त आवेदक हो और उनमें से एक उत्तरांचल का निवासी हो तो सब अन्य बातें समान होते हुए उत्तरांचल के आवेदक को सीधे प्राथमिकता दी जायेगी ।

उन मामलों में जहां एक से अधिक आवेदक उत्तरांचल के हों तो कमेटी ऐसी दुकान के लिए केवल उत्तरांचल के आवेदकों के मध्य ही लाटरी के माध्यम से अनुज्ञापी का चयन करेगी ।

अन्य मामलो में जहां उत्तरांचल का कोई आवेदक न हो, सभी आवेदकों में से लाइसेंसी का चयन पब्लिक लाटरी के माध्यम से किया जायेगा ।

आवेदक यह सुनिश्चित करेंगें कि पब्लिक लाटरी के दौरान स्वयं या उनका कोई अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहे जिससे उसे अपने चयन/व्यवस्थापन की जानकारी मिल सके ।

यदि चयनित आवेदक अपेक्षित धनराशि जमा नहीं करेगा और विहित औपचारिकतायें पूरी नहीं करेगा या नियत अवधि में दुकान हेतु उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में अक्षम रहेगा तो लाइसेंस प्राधिकारी आवंटन को निरस्त कर देगा और दुकान के लिये जमा की गयी धरोहर राशि लाइसेंस फीस और सिक्योरिटी की राशि जब्त कर लेगा और दुकान के पुनर्व्यवस्थापन हेतु कार्यवाही करेगा ।

स्पष्टीकरण :– कोई आवेदक उत्तरांचल का निवासी तब ही माना जायेगा, यदि वह निम्नलिखित शर्तों में से कम से कम एक को पूरा करता हो:–

(i) अगर वह राज्य के डोमेसाइल होने अथवा राज्य का स्थाई निवासी होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करता है ।

(ii) अगर वह राज्य के किसी वार्ड की वोटर लिस्ट की ऐसी प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत कर देता है जिसमें उसका नाम सम्मिलित हो ।

(iii) अगर वह उत्तरांचल में अपने जन्म का प्रमाण–पत्र अथवा परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति उत्तरांचल का निवासी होने के प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत कर देता है ।

(iv) अगर वह उत्तरांचल में जारी अपने राशनकार्ड की प्रमाणित छाया प्रति राज्य का निवासी होने के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर देता है ।

(v) अगर वह उत्तरांचल में जारी अपना ड्राइविंग लाइसेंस राज्य का निवासी होने के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर देता है । या

(vii) इसके अतिरिक्त वह उत्तरांचल निवासी होने का कोई और अभिलेख प्रस्तुत कर देता है जिससे सम्बंधित जिले के जिलाधिकारी संतुष्ट हो जायें ।

(ग) एक जनपद में एक व्यक्ति को अधिकतम दो दुकानें ही आवंटित की जा सकती हैं ।

(घ) अगर किसी विशिष्ट दुकान के लिए कोई आवेदन पत्र प्राप्त न हो या दुकान के लिए कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाये, तो लाइसेंस प्राधिकारी दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु तुरन्त कार्यवाही करेगा । पुर्नव्यवस्थापन की प्रक्रिया के दौरान पहला व्यवस्थापन/चयन पूरा होने के तुरन्त बाद चयन समिति ऐसे व्यक्तियों को जो प्रारम्भिक जांच में सही पाये गये, परन्तु जो कोई दुकान/लाइसेंस प्राप्त नहीं कर सके, अवशेष दुकान/दुकानों हेतु निर्धारित प्रारूप में नये प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का अवसर देगी । इस स्थिति में किसी दुकान के आवंटन हेतु पूर्व

में जमा राशि को नयी दुकानों के आवेदन पत्र हेतु जमा किया गया माना जायेगा ।

इस प्रकार प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर समिति दुकान का व्यवस्थापन निर्धारित व्यवस्था के अनुसार करेगी और यदि इस प्रकार का कोई प्रार्थना–पत्र प्राप्त नहीं होता है तो लाइसेसिंग अधिकारी व्यवस्थापित दुकान/दुकानों के व्यवस्थापन हेतु इस नियमावली के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करेंगें।

11. **व्यवस्थित की गयी दुकानों का विवरण–** जिला आबकारी अधिकारी व्यवस्थापन के 15 दिन के अंदर व्यवस्थित की गयी दुकानों का विवरण आबकारी आयुक्त को भेजेगा जिसमें अनुज्ञापियों के नाम और पते दुकानवार प्रतिभूति धनराशि और लाइसेंस फीस के रूप में जमा की गयी राशि का विवरण होगा ।

12. **लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान–** यदि किसी आवेदक का लाइसेंसधारी के रूप में चयन किया जायेगा तो वह आवंटन/व्यवस्थापन के दो दिन (अधिकतम अगले दिवस 5.00बजे सायं तक) के अंदर लाइसेंस फीस की पूरी राशि एवं प्रतिभूति की आधी धनराशि जमा करेगा और प्रतिभूति की अवशेष धनराशि 15 दिन के अंदर अथवा 31 मार्च तक जो भी पहले हो जमा करेगा । यदि वह निर्धारित समय में लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहेगा तो उसका चयन/व्यवस्थापन निरस्त हो जायेगा और उसकी धरोहर धनराशि लाइसेंस फीस व प्रतिभूति की राशि राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और उक्त दुकान का तत्काल पुनर्व्यवस्थापन कर दिया जायेगा । व्यतिकमी को भविष्य में प्रदेश में कहीं भी कोई आबकारी अनुज्ञापन प्राप्त करने से विवर्जित कर दिया जायेगा । इस नियम के अन्तर्गत ऐसे व्यतिक्रमियों की समेकित सूची उनके पूरे पते सहित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आबकारी आयुक्त को भेजी जायेगी, जो राज्य की समेकित सूची को राज्य के सभी लाइसेंस प्राधिकारियों को प्रसारित करेगा ।

13 शराब का उठानः– इस नियमावली के अधीन लाइसेंसधारी विदेशी शराब के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान जिसके अन्तर्गत सभी कर, शुल्क और उपकर, जो समय–समय पर उद्ग्रहीत किए जाए, जमा करने के पश्चात् जिले के किसी थोक लाइसेंसधारी (वि0म0–2) से विदेशी मदिरा की आपूर्ति प्राप्त करेगा । यदि किसी विशिष्ट ब्राण्ड़ की विदेशी मदिरा उसके जिले के थोक लाइसेंसधारी / लाइसेंसधारियों के पास उपलब्ध नहीं है तो उत्तरांचल के मुख्यालय के उप आबकारी आयुक्त (लाइसेसिंग) की पूर्व अनुमति से प्रदेश के किसी थोक लाइसेंसधारी से विदेशी मदिरा प्राप्त कर सकेगा ।

14. मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठानः– अनुज्ञापी किसी माह के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठान माह के अंतिम कार्य दिवस तक कर सकता है । अन्तिम कार्य दिवस के उपरान्त विदेशी मदिरा की जो मात्रा छूट जायेगी उसे जब्त कर लिया जायेगा । परन्तु अगर लाइसेंसी ने समस्त मासिक प्रत्याभूत ड्यूटी जमा कर दी हो तो, जिला आबकारी अधिकारी अनुज्ञापी की लिखित प्रार्थना पर अगले माह की 3 तारीख तक मदिरा के उठान की अनुमति दे सकते हैं ।

अगर अनुज्ञापी ने किसी माह हेतु निर्धारित समस्त न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठान कर लिया हो और उसकी दुकान में मदिरा की बिक्री की और आवश्यकता हो तो, अनुज्ञापी को मासिक न्यूनतम गारन्टीड मात्रा के 20 प्रतिशत के बराबर मदिरा के अतिरिक्त उठान की अनुमति (जिसकी गुणना दुकान के लिये निर्धारित प्रति बोतल न्यूनतम गारन्टीड ड्यूटी के आधार पर की जायेगी) प्रति बोतल अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी की राशि का, भुगतान करने के उपरान्त् दे दी जायेगी ।

उन मामलों में जहॉ अनुज्ञापी न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के 120 प्रतिशत से अधिक विदेशी मदिरा का उठान करना चाहेगा, उसे यह अनुमति बढ़ी दर पर, जैसा कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में अधिसूचित करें, अतिरिक्त एक्साइज ड्युटी जमा करनी होगी । वि0म0–5ग अनुज्ञापी वि0म0–2 व वि0म0–2बी

अनुज्ञापी से उनकी दुकान की वास्तविक बिक्री के अनुसार बियर की कोई भी मात्रा खरीदने हेतु स्वतंत्र होगें ।

15. न्यूनतम गारन्टीड मासिक अभिकर जमा करना और सिक्योरिटी राशि में कमी को पूरा करने में विफलता के परिणाम :– लाइसेंसधारी भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर देय मासिक गारन्टीड ड्यूटी की सम्पूर्ण राशि का भुगतान माह की 25 तारीख तक कर देंगे । अगर वह सम्पूर्ण देय ड्यूटी की राशि माह की 25 तारीख तक जमा करने में असफल रहता है तो जिला आबकारी अधिकारी जमा न करी गयी राशि को प्रतिभूति की राशि में से समायोजित करेगा और तत्काल लाइसेंसधारी को प्रतिभूति की राशि में आयी कमी को अगले माह की 5 तारीख तक पूरा करने हेतु कहेगा। अगर लाइसेंसधारी प्रतिभूति की राशि में आयी कमी को अगले माह के 5 तारीख तक पूरा करने में असफल रहता है तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा और लाइसेंसिंग प्राधिकारी पूर्व अनुज्ञापी के रिस्क पर दूकान/दुकानों को पुर्नव्यवस्थापित कराने हेतु स्वतंत्र होंगे ओर इस पुर्नव्यवस्थापन के फलस्वरूप राजस्व में आयी किसी कमी को पूर्व अनुज्ञापी से भू–राजस्व के बकाये की तरह वसूलनीय होगा।

16. बिक्री की अवधि और दुकानों की बन्दी– अनुज्ञापित परिसर, 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निश्चित तीन और दिवसों के अतिरिक्त, सभी दिवसों पर प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक बिक्री के लिए खुला रहेगा । लाइसेंस प्राधिकारी कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बंधित गतिविधियों के लिए सम्बंधित कानून के प्राविधानों के अधीन दुकान की बंदी का आदेश दे सकता है । उपरोक्त आधार पर दुकान की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा ।

17. लाइसेंस की समाप्ति पर बचे अवशेष स्टाक का निस्तारण– लाइसेंसधारी द्वारा अनुज्ञापन अवधि की समाप्ति पर विदेशी शराब के अवशेष और अविक्रीत मात्रा की घोषणा लाइसेस प्राधिकारी के समक्ष अगले दिन की जायेगी और

लाइसेंस की समाप्ति के अगले दिवस को 5 बजे शाम तक जिले की विदेशी मदिरा की थोक दुकान/दुकानों को लौटा दी जायेगी । लाइसेंसधारी, केवल क्रय मूल्य जिसमें शुल्क और अन्य कर सम्मिलित नहीं होगा, पाने का हकदार होगा । ऐसे स्टाक का निस्तारण इस सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त के आदेशों के अनुरूप थोक अनुज्ञापी (वि0म0–2) द्वारा किया जायेगा ।

18. अनुज्ञापन का अभ्यर्पण– अनुज्ञापी, अधिनियम की धारा–36 के उपबन्धों के अधीन अपने अनुज्ञापन का अभ्यर्पण लाइसेंस प्राधिकारी को कम से कम एक मास का लिखित नोटिस देकर कर सकता है । ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर लाइसेंस प्राधिकारी, उसकी जमा प्रतिभूति से समस्त अवशेष आबकारी देयों की वसूली करने की कार्यवाही करेगा । लाइसेंस प्राधिकारी अविलम्ब आबकारी वर्ष की शेष अवधि के लिए दुकान के पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही भी आरम्भ करेगा । इस पुर्नव्यवस्थापन में आयी राजस्व की कोई कमी पूर्व लाइसेंसी से भू–राजस्व के बकाये के समान वसूलनीय होगी ।

19. अनुज्ञापन का निलम्बन और निरस्तीकरण और शास्तियॉः–(1) लाइसेंस प्राधिकारी अनुज्ञापन को निलम्बित या निरस्त कर सकता है–

(क) यदि अनुज्ञापित परिसर में कोई बोतल पायी जाये, जिस पर शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है और जिस पर आबकारी आयुक्त द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सिक्योरिटी होलोग्राम नहीं लगाया गया है ।

(ख) यदि अनुज्ञापित परिसर में किसी अन्य प्रकार की शराब या मादक औषधि (जिसके लिए अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं किया गया है) पाई जाती है,

(ग) यदि अनुज्ञापी द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत शपथ–पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और उसमें किया गया कथन असत्य पाया जाता है,

(घ) यदि अनुज्ञापी अधिनियम या राजस्व सम्बन्धी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध में या किसी संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में या स्वापक औषधियों मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 482 से 489 के अधीन अपराध में दण्डित पाया जाता है।

(2) ऊपर उल्लिखित आधार पर लाइसेन्स प्राधिकारी तत्काल अनुज्ञापन निलम्बित कर देगा और जमा प्रतिभूति को जब्त कर लेगा । लाइसेन्स प्राधिकारी अनुज्ञापन को निरस्त करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी करेगा और लाइसेंसधारी अपना स्पष्टीकरण नोटिस की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा । तत्पश्चात् लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंसधारी को, यदि वह चाहे तो सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अगले सात दिन के भीतर समुचित आदेश पारित करेगा ।

(3) लाइसेंसधारी, इस नियम के अधीन अनुज्ञापन के निलम्बन या निरस्तीकरण के लिए किसी प्रतिकर या वापसी का दावा करने का हकदार नहीं होगा ।

(4) यदि ऊपर लिखित आधार पर अनुज्ञापन निरस्त किया जाय तो लाइसेंसधारी को काली सूची में भी डाला जा सकता है तथा भविष्य में कोई आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित किया जा सकता है ।

20. **विखण्डन और अपवाद–(1)** अद्यतन संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी लाइसेंस (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली, 1991 जो आबकारी आयुक्त की अधिूसचना संख्या 10702/दस–97बी–लाइसेंस–91–92, दिनांक 23 फरवरी, 1991 के साथ प्रकाशित की गयी, उत्तर प्रदेश विदेशी शराब की फुटकर बिक्री का लाइसेंस (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) नियमावली 1991, तथा उत्तर प्रदेश आबकारी (बियर के फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2000, एतद्द्वारा विखण्डित की जाती है।

(2) ऐसे विखण्डन के होते हुए भी उपनियम (1) में निर्दिष्ट नियम के प्राविधानों के अधीन देशी शराब की दुकान या दुकानों के समूह के लिए वित्तीय वर्ष 2000–01 के लिए पहले से निष्पादित व्यवस्थापन विधि मान्य रहेगा और 31 मार्च, 2001 तक लागू रहेगा ।

(सुभाष कुमार)
आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल

टिप्पणी : –

उत्तरांचल गजट, अतिरिक्त भाग– IV, खण्ड (क) दि0 12 मार्च 2001 में प्रकाशित, उत्तरांचल आबकारी (विदेशी मदिरा और बियर के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियो का व्यवस्थापन) नियम–2001, निम्नलिखित नियमों द्वारा संशोधित किये गये हैं : –

(1) पहला संशोधन : – उत्तरांचल गजट अतिरिक्त, भाग–4 IV, खण्ड–(क) दि0 27 मार्च 2001 में प्रकाशित उत्तरांचल आबकारी (विदेशी मदिरा और बियर के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (पहला संशोधन) नियम–2001।

(2) दूसरा संशोधन : – उत्तरांचल गजट अतिरिक्त, भाग–4 IV, खण्ड–(क) दि0 26 जून 2001 में प्रकाशित उत्तरांचल आबकारी (विदेशी मदिरा और बियर के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (द्वितीय संशोधन) नियम–2001।

(3) तीसरा संशोधन : – उत्तरांचल गजट अतिरिक्त, भाग–4 IV, खण्ड–(क) दि0 28 जुलाई 2001 में प्रकाशित उत्तरांचल आबकारी (विदेशी मदिरा और बियर के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (तृतीय संशोधन) नियम–2001।

(4) चौथा संशोधन : – उत्तरांचल गजट अतिरिक्त, भाग–4 IV, खण्ड–(क) दि0 14 सितम्बर 2001 में प्रकाशित उत्तरांचल आबकारी (विदेशी मदिरा और बियर के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (चतुर्थ संशोधन) नियम–2001।

(5) पांचवां संशोधन : – उत्तरांचल गजट अतिरिक्त, भाग–4 IV, खण्ड–(क) दि0 27 अप्रैल 2002 में प्रकाशित उत्तरांचल आबकारी (विदेशी मदिरा और बियर के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (पंचम संशोधन) नियम–2002।

(6) छठा संशोधन : – उत्तरांचल गजट अतिरिक्त, भाग–4 IV, खण्ड–(क) दि0 19 जूलाई 2002 में प्रकाशित उत्तरांचल आबकारी (विदेशी मदिरा और बियर के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (छठा संशोधन) नियम–2002।

(7) सातवां संशोधन : – उत्तरांचल गजट अतिरिक्त, भाग– IV, खण्ड–(क) दि0 28 अप्रैल 2003 में प्रकाशित उत्तरांचल आबकारी (विदेशी मदिरा और बियर के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (सातवां संशोधन) नियम–2003।

(8) आठवां संशोधन : – उत्तरांचल गजट अतिरिक्त, भाग– IV, खण्ड–(क) दि0 10 जून 2004 में प्रकाशित उत्तरांचल आबकारी (विदेशी मदिरा और बियर के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (आठवां संशोधन) नियम–2004।

(9) नौवां संशोधन : – उत्तरांचल आबकारी (विदेशी मदिरा और बियर के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (नौवां संशोधन) नियम–2005।

(10) दसवां संशोधन : – उत्तरांचल आबकारी (विदेशी मदिरा और बियर के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (दसवां संशोधन) नियम–2005।

(11) ग्यारहवां संशोधन : – उत्तरांचल आबकारी (विदेशी मदिरा और बियर के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (ग्यारहवां संशोधन) नियम–2006।

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम,1964

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24,1964)

''उत्तर प्रदेश में शक्कर के कारखानों द्वारा उत्पादित शीरे के संग्रहण,श्रेणीकरण और मूल्य को नियंत्रित करने तथा उसके सम्भरण और वितरण को लोक हित में, विनियमित करने की व्यवस्था करने के लिये''।

अधिनियम 1

प्रस्तावना निकाल दी

अतएव भारतीय गणतंत्र के पन्द्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

अध्याय–एक
प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त शीर्ष और प्रसार–**

(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम,1964 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा

2. **परिभाषाएँ**– विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर,इस अधिनियम में–

(क) '' नियंत्रक'' का तात्पर्य धारा 4 के अधीन नियुक्त शीरा नियंत्रक है

(ख) '' आसवनी'' का तात्पर्य यूनाइटेड प्राविन्सेज एक्साइज ऐक्ट,1910 (यू0पी0ऐक्ट संख्या–4,1910) के उपबन्धों के अधीन चालक (Power),पेय (Potable) या मद्यसार बनाने के लिए लाइसेंस–प्राप्त भू–गृहादि से है।

(ग) ''आबकारी अधिकारी'' का वही अर्थ होगा जो यूनाइटेड प्राविन्सेज एक्साइज ऐक्ट,1910 (यू0पी0 ऐक्ट संख्या 4,1910) में, excise officer का दिया गया है।

(घ) ''शीरा'' का तात्पर्य गन्ना या गुड से निर्वात पात्र (vacuum pan) द्वारा शक्कर बनाने की अन्तिम व्यवस्था में निकलने वाले गाढे,गहरे रंग के

लसदार तरल द्रव्य से है,जब उस तरल या उसके किसी रूप अथवा मिश्रण में शक्कर हो।

(ड़) शक्कर के कारखाने के सम्बन्ध में '' अध्यासी'' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका उक्त कारखाने के मामलों पर अन्तिम नियंत्रण हो और इसके अंतर्गत कारखानों का प्रबन्ध अभिकर्ता (मैनेजिगं एजेन्ट) भी है।

(च) ''नियत'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है।

(छ) ''राज्य'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है,औ

(ज) ''शक्कर के कारखाने'' अथवा ''कारखाने'' का तात्पर्य उसकी प्रसीमाओं (precincts) सहित किसी ऐसे भू–गृहादि से है,जहॉ बीस या उससे अधिक कर्मी (worker) काम कर रहे हों या पिछले बारह महीनों में किसी दिन कार कर रहे थे और जिसके किसी भाग में विद्युत–शक्ति की सहायता से निर्वात पात्रों (vacuum pans) द्वारा शक्कर के उत्पादन से सम्बन्धित निर्माण–प्रक्रिया की जा रही हो या साधारणतया की जाती है।

(राष्ट्रपति द्वारा अक्टूबर 17,1964 को अनुमति दी गई और उत्तर प्रदेश गजट,असाधारण,दिनांक नवम्बर,9,1964 में प्रकाशित)

अध्याय–दो

परामर्शी एवं प्रशासनिक तंत्र

3–(1) ''राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा शीरे के संग्रहण,संरक्षण,श्रेणीकरण, मूल्य,सम्भरण तथा निस्तारण पर नियंत्रण रखने से सम्बद्व मामलों पर परामर्श देने के लिये एक परामर्श समिति संघटित कर सकती है।''

(2) परामर्श समिति का संघठन–समिति में उतने व्यक्ति होंगें और व ऐसी शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन संघठित किये जायेंगे जैसे नियत किये जाये।

4– शीरा नियंत्रक की नियुक्ति– राज्य सरकार,गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन शीरा–नियंत्रक के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए किसी व्यक्ति को शीरा नियंत्रक नियुक्त कर सकती है।

अध्याय–तीन

संरक्षण,वितरण और मूल्य

5– शीरे का संरक्षण– शक्कर के कारखाने का प्रत्येक अध्यासी निम्नलिखित की व्यवस्था करेगा–

(क) कारखाने में उत्पादित शीरे के निरापद संरक्षण के लिए कारखाने,के भू–गृहादि के भीतर अच्छादित स्थान।

(ख) चूने,रिसने,ऊपर से बह निकलने या अन्य ऐसी दुर्घटना से जिससे कारखाने में संग्रीहत शीरे के गुण को क्षति पहुंचने की सम्भावना हो,रक्षा के पर्याप्त पूर्वोपाय।

(ग) शीरे के साथ पानी के मिश्रण या ताजे शीरे के साथ पुराने बिगडे हुए शीरे के मिश्रण को रोकने के लिए पर्याप्त प्रबन्ध और

(घ) शीरे को उठाने–धरने की ,जिसके अन्तर्गत शीरे के नमूने लेना,उसे पम्प करना और टंकी बैगनों,टेंक,लारियों तथा अन्य पात्रों में भरना भी है,पर्याप्त सुविधाएं।

6– अपमिश्रण से संरक्षण–

(1) शक्कर के कारखाने का कोई अध्यासी अपने द्वारा उत्पादित या स्टाक के किसी शीरे का अपमिश्रण न तो करेगा न करने देगा।

(2) शक्कर के किसी कारखाने की किसी संग्रहण टंकी में ऐसे शीरे का होना जिसमें शक्कर की मात्रा {लेन और इगनान के आयतनमिति विधि (Lane and Egnon's volumetnc method) द्वारा अवधारित कुल अपचायक शक्कर (reducing sugar) के रूप में व्यक्त} चालीस प्रतिशत से कम हो, यह परिकल्पना करने के लिए पर्याप्त होगा कि कारखाने के अध्यासी ने शीरे का अपमिश्रण किया है या करने दिया है।

7– अपमिश्रित शीरे का हटाया जाना–

(1) नियंत्रक,शुद्व शीरे का समुचित संग्रहण,संरक्षण,श्रेणीकरण,सम्भरण अथवा निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शक्कर के कारखाने के अध्यासी से

कारखाने के भू–गृहादि से किसी अपमिश्रित शीरे की ,नियंत्रक द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली युक्तियुक्त अवधि के भीतर हटाने की अपेक्षा कर सकता है और अध्यासी समय के भीतर उक्त अपेक्षा की पूर्ति करेगा।

(2) धारा–6 की उपधारा–2 में उल्लिखित शीरा इस धारा के प्रयोजनों के लिए अपमिश्रित समझा जायेगा।

7–क– शीरे के लिए आवेदन पत्र–(1) कोई व्यक्ति जिसे अपनी आसवनी के लिये अथवा औद्योगिक विकास के किसी प्रयोजन के लिए शीरे की आवश्यकता हो उस प्रयोजन के लिये जिसके लिये वह अपेक्षित है निर्दिष्ट करते हुए नियंत्रक को नियत रीति से आवेदन–पत्र दे सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर और उस मामले में ऐसी जांच करने के पश्चात जिसे वह उचित समझे,नियंत्रक धारा–8 के अधीन आज्ञा दे सकता है।

(3) उपधारा–(1) के अधीन आवेदन पत्र का निस्तारण करने में नियंत्रक निम्नलिखित पर विचार करेगा–

(क) शीरे की सामान्य उपलभ्यता,

(ख) शीरे की विभिन्न आवश्यकतायें,

(ग) शीरे की लोक हित में सदुपयोगिता,

(घ) सीमा जिस तक आवेदक की आवश्यकतायें यथार्थ है,

(ड़) आवेदन–पत्र में निर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनार्थ ऐसे शीरे के जिसे आवेदक प्राप्त कर सकता हो,व्यपवर्तन की युक्तियुक्त सम्भाव्यता अथवा असंभाव्यता और यदि आवेदन–पत्र पूर्णतः या आंशिक रूप से अस्वीकार किया जाए तो वह उसके कारणों को अभिलिखित करेगा।

8– शीरे की बिक्री और उसका संभरण–

(1) नियंत्रक (राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से,आज्ञा द्वारा) शक्कर के किसी कारखाने के अध्यासी से,शीरे की उतनी मात्रा ऐसे व्यक्ति को, जो आज्ञा मे निर्दिष्ट हो,नियत रीति से बेचने और सम्भरित करने की अपेक्षा कर सकता है,और अध्यासी सिकी संविदा के होते हुए भी उस आज्ञा का पालन करेगा।

(2) उपधारा–(1) के अधीन आज्ञा–

(क) ऐसे ही व्यक्ति को शीरा सम्भरित करने की अपेक्षा करेगी,जिसे उसकी अपेक्षा अपनी आसवनी के लिए या औद्योगिक विकास के किसी प्रयोजन के लिए हो,

(क) खंड (क) में अभिदिष्ट व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकती है कि वह इस धारा के अधीन उसके दी गई आज्ञा के अंतर्गत उसे संभरित शीरे का उपयोग धारा 7–क की उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा दिये गये आवेदन–पत्र में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए ऐसे प्रतिबन्धों तथा शर्तों का जो नियत की जाये,आनुपालन करें।

(ख) स्टाक की या वर्ष में उत्पादित किये जाने वाले शीरे की संपूर्ण मात्रा के लिए या उसके सिकी भाग के लिए हो सकती है,किन्तु शक्कर के प्रत्येक कारखाने से सम्भरित किये जाने वाले शीरे का उस वर्ष में कारखाने के कुल शीरे का अनुमानित उत्पादन से अनुपात राज्य भर में एक ही होगा,सिवाय उस दशा में जब नियंत्रक की राय मे,निम्नलिखित में से किसी कारण से अन्तर आवश्यक हो,

(1) ऐसे क्षेत्र के भीतर,जिसमें शक्कर के कारखाने से उचित मूल्य पर शीरा ले जाया जा सके,आसवनियों की आवश्यकता,

(2) उक्त क्षेत्र के भीतर औद्योगिक विकास के अन्य प्रयोजन के लिए आवश्यकता,और

(3) क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं की उपलभ्यता।

(3) नियंत्रक,उपधारा–(1) के अधीन आज्ञा में,किसी भूल या लोप को ठीक करने के लिए या उपधारा–(2) के खण्ड (ख) में उल्लिखित कारणों मे से किसी में से बाद में होने वाले परिवर्तन से उत्पन्न अपेक्षा की पूर्ति के लिए,ऐसे परिष्कार कर सकता है,जो आवश्यक हो।

(4) शक्कर के कारखाने का अध्यासी,अपने द्वारा बेचे गये शीरे पर राज्य सरकार को,नियत रीति से (पन्द्रह रूपये) प्रति क्विंटल से अनधिक ऐसी दर पर जैसी राज्य सरकार समय–समय पर अधिसूचित कर,प्रशासनिक प्रभार का देनदार होगा।

(5) अध्यासी केता से शीरे के मूल्य के अतिरिक्त ऐसे प्रशासनिक प्रभार की धनराशि के बराबर धनराशि वसूल करने का हकदार होगा।

9– अपील–

(1) धारा–8 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति,आज्ञा से सूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को नियत रीति से अपील कर सकता है और राज्य सरकार उप पर ऐसी आज्ञा दे सकती है जो वह उचित समझे।

10– शीरे के अधिकतम मूल्य–

10–क– संग्रहण की पर्याप्त सुविधाओं को विनियमित करने के लिए निधि– शक्कर के प्रत्येक कारखाने के अध्यासी,नीचे निर्दिष्ट विभिन्न श्रेणियों के शीरे के विकय मूल्य से ऐसी धनराशि जिसे राज्य सरकार इस निमित अधिसूचित करे,नियंत्रक द्वारा समय पर जारी की गयी सामान्य या विशेष आज्ञा के अनुसार संग्रह की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था तथा अनुरक्षण करने के लिए एक पृथक निधि में रखेगा।

शीरे की श्रेणी	शीरे में शक्कर की कुल मात्रा का प्रतिशत (अपचायक शक्कर के रूप में व्यक्त)
प्रथम	50 प्रतिशत तथा उसके ऊपर
द्वितीय	44 प्रतिशत से 49.92 प्रतिशत तक
तृतीय	44 प्रतिशत से 49.92 प्रतिशत तक

अध्याय–चार

अपराध और शास्तियां

11–उपबन्धों का उल्लघंन–

(1) जो व्यक्ति इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का या तदधीन बनाये गये नियमों अथवा दी गयी आज्ञाओं या जारी किये गये निर्देशों का उल्लघंन करे अथवा किसी ऐसे

मामलों के बारे में,जिसके सम्बन्ध में उससे इस अधिनियम या उक्त नियमों,आज्ञाओं या निर्देशों के अधीन सूचना देने की अपेक्षा की गई हो,जानबूझ कर कोई मिथ्या विवरण दे या मिथ्या विवरणी प्रस्तुत करे वह सिद्व दोष पाये जाने पर दोनों मे से किसी प्रकार के कारावास से जो एक वर्ष तक हो सकता है,अथवा अर्थ दंड से जो दो हजार रूपये तक हो सकता है,अथवा दोनों दंडनीय होगा जो इस प्रकार प्रथम सिद्वदोष पाये जाने के पश्चात प्रत्येक ऐसे दिन के लिए,जिससे ऐसा उल्लंघन जारी रहे,एक सौ रूपये तक हो सकता है।

(2) उपधारा–(1) के अधीन दंडनीय अपराध पर विचार करने वाला कोई न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि कोई ऐसा शीरा,जिसके विषय में न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि उसके सम्बन्ध में अपराध किया गया है,राज्य सरकार के हक में जब्त कर लिया जायेगा।

12– कम्पनियों द्वारा अपराध–

(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो कम्पनी के साथ–साथ प्रत्येक व्यक्ति भी जो अपराध किये जाने के समय कंपनी का कारोबार चलाने के निमित उसका प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी रहा हो,अपराध करने का दोषी समझा जायेगा और तद्नुसार उसके विरूद्व कार्यवाही की जा सकेगी तथा दंड किया जा सकेगा,प्रतिबन्ध यह कि उपधारा की किसी बात से कोई व्यक्ति दंड का भागी न होगा जो यह सिद्व कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने उस अपराध को रोकने के लिए सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी।

(2) उपधारा–(1) में किसी बात के होते हुए भी,यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाये और यह सिद्व हो जाये कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक,प्रबन्धक,प्रबन्ध–अभिकर्ता,सचिव या किसी अन्य अधिकारी की सहमति से या उसकी मौनानुकूलता से हुआ अथवा यह कि अपराध उसकी उपेक्षा के कारण हुआ तो वह निदेशक,प्रबन्धक,प्रबन्ध–अभिकर्ता,सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का

दोषी समझा जायेगा और तद्नुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उसके दण्ड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए–

(क) ''कम्पनी'' का तात्पर्य निगमित निकाय से है और इसके अंतर्गत कोई भी फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ (assocation) भी है,और

(ख) फर्म के सम्बन्ध में ''निदेशक'' का तात्पर्य फर्म के साझीदार से है।

13– अपराध संज्ञान–

(1) कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान (cognizance) तब तक न करेगा,जब तक कि आबकारी निरीक्षक या उससे उच्च श्रेणी का आबकारी अधिकारी लिखित रूप से उस अपराध के संघटक तथ्यो की सूचना न दें।

(2) कोई भी न्यायालय,जो प्रथम श्रेण्री के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का हो,इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध पर विचार न करेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध,कोड आफ किमिनल प्रोसीजर अधिनियम, 1898 (ऐक्ट संख्या 5,1898) के अर्थ में संज्ञेय और जमानत योग्य (cognizable and bailable) होगा।

14–प्रवेश करने,तलाशी लेने और अभिग्रहण का अधिकार–

(1) कोई पुलिस अधिकारी जो उपनिरीक्षक (सब–इन्सपेक्टर) से निम्न श्रेणी का न हो या उप निरीक्षक (आबकारी) को या उससे उच्च श्रेणी का कोई आबकारी अधिकारी–

(क) ऐसे समय किसी भू–गृहादि में,जिससे सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध किया गया है या किया जाने वाला है,रखा या छिपाया गया है,प्रवेश कर सकता है तथा उसकी तलाशी ले सकता है,

(ख) ऐसे शीरे या किसी बक्स,पैकेट,पात्र,बन्डल या आच्छादन का जिसमें शीरा हो और ऐसे शीरे के व्यापार से सम्बन्धित किन्ही पुस्तिकाओं ,लेखों,लेख्यों या विवरण–पत्रों का अभिग्रहण कर सकता है,और

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति को,जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दोषी है,निरूद्व कर सकता है,उसकी तलाशी ले सकता है और उसे गिरफ्तार कर सकता है।

(2) इस धारा के अधीन ली गयी सभी तलाशियॉ कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर,1898 (ऐक्ट संख्या 5,1998) के उपबन्धों के अनुसार होगी।

(3) कोई पुलिस अधिकारी जो उप–निरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो या आबकारी निरीखक या उससे उच्च श्रेणी का कोई आबकारी अधिकारी किसी ऐसे अपराध का अनुसन्धान कर सकता है जो इस अधिनियम के अधीन दंडनीय हो और जो ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किया गया हो जिसमें उक्त अधिकारी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता हो।

(4) कोई ऐसा अधिकारी ऐसे अनुसन्धान के सम्बन्ध में उन अधिकारों का प्रयोग कर सकता है जिनका प्रयोग करके थाने का प्रभारी अधिकारी कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीसर, 1998 (ऐक्ट संख्या 5, 1898) के अध्याय 14 के उपबन्धों के अधीन संज्ञेय अपराध के संबंध में कर सकता है।

15– अभिग्रहण की सूचना देना:–

(1) धारा–14 के अधीन अभिगृहीत किसी शीरे या किन्ही वस्तुओं के बारे में रिपोर्ट,ऐसे अभिग्रहण के पश्चात यथाशीघ्र,अधिकारितायुक्त,मजिस्ट्रेट को की जायेगी,जो ऐसी जॉच यदि कोई हो,जिसे वह आवश्यक समझे,करने के पश्चात और शीरे का नमूना लेने के पश्चात नियंत्रक की आज्ञाओं के अनुसार उसका निस्तारण करने के लिये ऐसे निर्देश दे सकता है जिन्हे वह उचित समझे।

(2) यदि ऐसे अभिग्रहण के दिनांक से छः मास के भीतर कोई अभियोग न चालया जाय तो मजिस्ट्रेट उस शीरे या उन वस्तुओं को उन व्यक्तियों के हक में,जिनसे अभिगृहित की गयी थी,छोडने की आज्ञा दे सकता है।

16— अपराधों के सम्बन्ध में समझौता करने का अधिकारः— नियंत्रक किसी व्यक्तिा से जिसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किये जाने का युक्तियुक्त संदेह हो,ऐसे किये गये अपराध के लिए समझौते के रूप में पांच हाजर रूपये से अनाधिक धनराश्शि स्वीकार कर सकता है और ऐसी प्रत्येक दशा में,जब इस अधिनियम के अधीन जब्त की जाने योग्य कोई सम्पत्ति अभिगृहीत की गयी हो,नियंत्रक द्वारा अनुमानित उसके मूल्य का भुगतान किये जाने पर उस सम्पत्ति को छोड सकता है। नियंत्रक को,यथास्थिति ,ऐसी धनराशि या मूल्य अथवा दोनो का भुगतान किये जाने पर अभियुक्त को,यदि वह हिरासत में हो,उन्मुक्त कर दिया जायेगा और अभिगृहीत सम्पत्ति छोड दी जायेगी और उस व्यक्ति या सम्पत्ति के विरूद्व आगे कोई कार्यवाही न की जायेगी।

अध्याय–पांच
विविध

17–लेखे रखना और विवरणियों प्रस्तुत करना आदि–प्रत्येक शक्कर कारखाने का अध्यासी और ऐसा व्यक्ति,जिसे उक्त अध्यासी द्वारा शीरा सम्भरित किया जाय इस बात के लिए बाध्य होगा कि वह–

(क) ऐसे रजिस्टर,अभिलेख,लेखे उकरण और प्रतिकर्मी द्रव्य (reagents) रखे जो नियत किये जायें,

(ख) शीरे के उत्पादन और निस्तारण के सम्बन्ध में उन व्यक्तियों को और उन दिनांको तक ऐसी रीति से वे सभी ऐसी सूचनाएं दे और विवरणियॉ प्रस्तुत करें जो नियंत्रक आज्ञा द्वारा नियत करें,

(ग) आबकारी अधिकारी द्वारा जो उप निरीक्षक (आबकारी) से निम्न श्रेणी का न हो,मॉग किये जाने पर ऐसे रजिस्टर अभिलेख,लेख्या,उपकरण तथा रासायनिक प्रतिकर्मी द्रव्य प्रस्तुत करें,जिन्हे रखने की अपेक्षा उससे या तद्धीन बनाये गये नियमों अथवा दी गयी आज्ञाओं के उपबन्धों के अधीन की गयी हो।

18– कारखानों में तैनात निरीक्षकों के लिए आवास– शक्कर के कारखाने का अध्यासी,इस अधिनियम,तद्धीन बनाये गये नियमों,दी गयी आज्ञाओं तथा जारी किये गये निर्देशों के उपबन्धों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियंत्रक द्वारा शक्कर के कारखाने में तैनात किये गये आबकारी अधिकारी के लिए शक्कर के कारखाने की प्रसीमाओं के भीतर,ऐसे किराये का भुगतान करने और ऐसी शर्तो पर, जो नियत की जाये आवास–स्थान की व्यवस्था करने के लिए बाध्य होगा।

19– अधिकारों का प्रतिनिधान– नियंत्रक,गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि धारा 8 को छोडकर,इस अधिनियम के या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोज्य कोई अधिकार ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तो के अधीन (यदि कोई हो) जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जायें,उसके किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा भी प्रयोज्य होगा।

20– सद्‌भावना से किये गये कार्यो का संरक्षण– इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाये गये नियमों अथवा दी गयी आज्ञाओं के अनुरसरण में किये गये या किए जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्य के सम्बन्ध में राज्य सरकार या किसी अधिकारी के विरूद्व कोई भी वाद अथवा विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

21–आज्ञाओं की तामील–

(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन दी गयी आज्ञा:–

(क) उस दशा में जब वह सामान्य प्रकार की या व्यक्तियों के वर्ग को प्रभावित करने वाली आज्ञा हो,गजट में विज्ञापित की जायेगी और,

(ख) उस दशा में जब किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हो,उस व्यक्ति पर निमनलिखित प्रकार से तामील की जायेगी–

(1) डाक प्रमाण पत्र के अधीन डाक द्वारा या उसे उक्त व्यक्ति को देकर या उसके समक्ष प्रस्तुत करके,या

(2) यदि यह इस प्रकार से दी या प्रस्तुत की न जा सकती हो,तो उसे भू–गृहादि के जिसमें वह व्यक्ति रहता हो बाह्य द्वार या किसी अन्य प्रमुख भाग पर चिपका कर और उसकी इस प्रकार तामील का एक विवरण तैयार करके जिस पर उस स्थान पर रहने वाले दो व्यक्तियों का साक्ष्य हो।

22–नियम बनाने का अधिकार–

(1) राज्य सरकार गजट में पूर्व प्रकाशन के पश्चात इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेषतः और पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकाता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती :–

(क) परामर्श समिति का संघटन,उसके सदस्य चुने जाने की रीति,उनका कार्यकाल,उन्हे देय भत्ते,यदि कोई हो,रीति जिसके अनुसार परामर्ष्श समिति अपना परामर्श देगी और उसके कार्य–संचालन की प्रकिया,

(ख) परामश्र्श समिति के सदस्यों को हटाने से सम्बन्धित प्रकिया,

(ग) शक्कर के कारखानों द्वारा शीरे के संरक्षण और उसके संग्रहण से सम्बन्धित शर्तें

(घ) शीरे के श्रेणीकरण और नमूने लेने के सम्बन्ध में विशिष्टयों और परीक्षण,जिसमें उसकी मात्रा तथा गुण की जांच भी सम्मिलित है,

(ड़) शीरे की बिक्री और उसके सम्भरण की रीति,

(ड़ ड1)रीति जिसके अनुसार धारा–8की उपधारा (4) के अधीन देय प्रशासनिक प्रभार वसूल किया जाएगा,

(च) राज्य सरकार को अपील का आकार और अपील करने की रीति तथा उसके निस्तारण में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया,

(छ) अपराधों में समझौता करने की प्रक्रिया

(ज) शक्कर के कारखानों के अध्यासियों द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर,अभिलेख, लेखे, उपकरण तथा प्रतिकर्मी द्रव्य,

(झ) किराया और शर्ते,जिन पर शक्कर के कारखानों की प्रसीमाओं के भीतर आबकारी अधिकारी के लिए आवास की व्यवस्था की जायेगी।

(अ0) शीरे के उत्पादन,वितरण और उपयोग के सम्बन्ध में सूचना या आंकडे एकत्र करना,

(ट) इस अधिनियम के अधीन जब्त किये गये शीरे और वस्तुओं का निस्तारण,तथा

(ठ) कोई अन्य विषय जो नियत किये जाने हों या नियत किया जा सके।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम,बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र,राज्य विधान–मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब उसका सत्र हो रहा हो,उसके एक सत्र या एकाधिक अनुक्रमिक सत्रों के कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेगें और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाये,वे गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से,ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों (annilment) के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान–मंडल के दोनों सदन करने के लिए सहमत हों,किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

23– यू0पी0 ऐक्ट संख्या 23,1947 का निरसन–युनाइटेड प्राविंसेज मोलासेज (कन्ट्रोल) ऐक्ट, 1947 निरस्त किया जाता है।

''अनुसूची''
(धारा 10 देखिए)
टिप्पणी

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रक अधिनियम, 1964 निम्नलिखित अधिनियमों द्वारा संशोधित किया गया है–9

1. प्रथम संशोधन– उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 1974(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15,1974) जो उत्तर प्रदेश गजट,असाधारण,दिनांक जुलाई, 3,1974 में प्रकाशित हुआ।
2. द्वितीय संशोधन– उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम 1986(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5,1986) जो उत्तर प्रदेश गजट,भाग–1खण्ड (क) दि0 मार्च 15,1986 में प्रकाशित हुआ।
3. तृतीय संशोधन–उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 1995 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10,1995) जो उत्तर प्रदेश गजट,असाधारण,भाग–1खण्ड (क)दि0 मार्च 4,1995 में प्रकाशित हुआ।
4. चतुर्थ संशोधन– उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम 1986,जो उत्तर प्रदेश असाधारण विधायी परिशिष्ट,भाग–1खण्ड (क),दि0 7 फरवरी 1998 में प्रकाशित हुआ।
5. पंचम संशोधन–उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2000 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2,2000)

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24,1964) की धारा 22 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंजिसे सरकारी अधिसूचना संख्या 5418–इ/तेरह–272–64,दिनांक 3 अक्टूबर, 1972 के अधीन पहले प्रकाशित किया जा चुका है।

नियमावली

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974

अध्याय एक

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974 कहलायेगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषऍं– जब तक कि विषय या प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,इस नियमावली में–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेष शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24,1964) से है।

(ख) ''धारा'' का तात्पर्य उक्त अधिनियम की धारा से है।

(ग) '' उप निरीक्षक आबकारी'' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त ऐक्ट संख्या 4,1910) की धारा 10 के अधीन नियुक्त उप–निरीक्षक आबकारी से है।

(घ) ''प्रदेश्ज्ञन–ग्रहीता'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है,जिसके पक्ष में अधिनियम की घारा 8 के अधीन शक्कर के किसी कारखाने के अध्यासी से शीरा खरीदने के लिए आज्ञा दी गयी है।

(ड़) '' प्रपत्र'' का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन नियम प्रपत्र से है।

(च) ''शीरा वर्ष'' का तात्पर्य 1 नवम्बर से प्रारम्भ होने वाली और अगले वर्ष के 30 अक्टूबर को समाप्त होने वाली अवधि से है।

(छ) ''संग्रहण टंकी'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 5 के अधीन शीरे के निरापद संरक्षण के लिए व्यवस्थित आच्छादित स्थान से है।

अध्याय दो
शीरे का संरक्षण

3. आच्छादित स्थान की व्यवस्था धारा 5(क) और (ख)– (1) शक्कर के किसी कारखाने का प्रत्येक अध्यासी कारखाने के भू गृहादिक के भीरत उतनी संख्या और आकार की संग्रहण टंकिया रखेगा जिससे कि एक बार में कारखाने के लिये तत्समय रजिस्ट्रीकृत पूर्ण पेराई क्षमता के अनुसार 140 कार्य दिवसों मे पेरे जाने वाले सम्पूर्ण गन्ने के चार प्रतिशत के हिसाब से संगणित शीरे के कुल उत्पादन का कम से कम पचास प्रतिशत या पिछले वर्ष के सर्वाधित कुल उत्पादन का पचार प्रतिशत,जो भी अधिक हो,संग्रह कर सकें।

(2) यदि नियंत्रक शीरे के बढे हुए उत्पादन के कारण किसी क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं की उपलभ्यता में कठिनाई होने के कारण या किसी अन्य कारण से,जो उसके द्वारा अभिलिखित किया जायगा,शक्कर के किसी कारखाने के अध्यासी को यह निदेश दे सकता है कि यह अतिरिक्त संग्रहण टंकी जिसका उल्लेख उसके निदेश में होगा,की व्यवस्था करे और तदुपरान्त अध्यासी ऐसे संग्रहण टंकी की व्यवस्था ऐसी अवधि के भीतर करेगा जैसा निदेश के निर्दिष्ट हो।

(3) शीरे के संग्रहण के लिए अनाच्छादित खुली संग्रहण टंकी का प्रयोग नियंत्रक की पूर्व अनुज्ञा के बिना नहीं किया जायगा।

4. संग्रहण टंकियों की व्यवस्था (धारा 5)–(1) सभी संग्रहण टंकियां कारखाने के अध्यासी द्वारा क्रमांकित की जायेगीं और प्रत्येक टंकी को बिमा (डाईमेन्शन्स) और संग्रहण क्षमता के साथ प्रत्येक टंकी की प्रविष्ट संख्या को किसी स्थायी जुडनार (फिक्सचर) पर प्रदर्शित किया जायगा। एक बार प्रविष्ट की गयी संख्या में नियंत्रक की पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा।

(2) शक्कर के किसी कारखाने के अध्यासी द्वारा व्यवस्थित सभी संग्रहण टंकियों की विमा शीरा प्रपत्र 14 में एक रजिस्टर में अभिलिखित की जायगी और प्रत्येक संग्रहण टंकी के सम्बन्ध में एक गेज चार्ज रजिस्टर में यह प्रदर्शित करने के लिए रखा जायगा

कि टंकी में प्रतियेक 5 सेटींमीटर की गहराई पर कितने क्विटंल शीरे के मात्रा है। संग्रहण टंकियों की गेजिगं इस प्रकार की जानी चाहिए जिसमें 45 प्रतिशत शक्कर युक्त शीरा मानक समझा जाय।

5 संग्रहण क्षमता में परिवर्तन (धारा 5 तथा 22)–(1) यदि संग्रहण टंकी की संग्रहण क्षमता में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव हो तो अध्यासी· तब नियंत्रक को एक नक्शा (Blue print) प्रस्तुत करेगा जिसमें प्रत्येक संग्रहण टंकी की वास्तविक स्थिति ,क्रम संख्या,विमा,प्रकार (खडी चिनाई) और उसकी प्रत्येक पांच सेटीमीटर की गहराई पर क्षमता तथा ऐसी टंकियों से जुडे पाइप और निकास–नालियां दिखाई जायेगी।

(2) यदि कोई अतिरिक्त संग्रहण टंकी उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत नक्शे में न दिखाई गयी हो और उसकी बाद में शक्कर के कारखाने के अध्यासी द्वारा व्यवस्था की जाय तो उसके लिए उसी प्रकार का एक नक्शा नियंत्रक को उसका निर्माण किये जाने के एक मास के भीतर प्रस्तुत किया जायगा।

6 आसवनियों के लिए नियम 4 ओर 5 का लागू होना (धारा 22) शीरे के निरापद संरक्षण को सुनिश्चित करने के नियंत्रक के निदेश (धारा 5 तथा 22)–उपर्युक्त नियम 4 और 5 के उपबन्ध उत्तर प्रदेश में आसवनियों के स्वामियों पर आसवन () के प्रयोजनार्थ के लिए शक्कर के कारखानों द्वारा सम्भरित शीरे के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होगें।

7. यदि नियंत्रक की यह राय हो कि किसी संग्रहण टंकी या उसके किसी युक्ति (device) अथवा उसके जुडनार [जिसके अन्तर्गत दीवाल,पाईप या निकास–नाली(ड्रेन) भी है] से कारखाने में उत्पादित शीरे के गुण और मात्रा के निरापद संरक्षण से पर्याप्त पूर्वोपाय नहीं हो पाता तो वह लिखित आज्ञा द्वारा कारखाने के अध्यासी को शीरे का निरापद संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए ऐसा आवश्यक उपाय,जिसके अन्तर्गत दीवाल,पाईप लाइन या निकास नाली को हटाना भी है,करने की आज्ञा दे सकता है,और अध्यासी उसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे निर्देशों का पालन करेगा।

8. संग्रहण टंकियों में शीरे के संग्रहण संक्रमण और निस्तारण के लिए नियंत्रक के निदेश (धारा 5 तथा 22)–

(1) नियंत्रक यह विनिर्दिष्ट करेगा कि कारखाने की संग्रहण टंकियो की किस क्रम में भरा जाय या खाली किया जाय और ऐसा निदेश शक्कर के कारखाने के अध्यासी पर बन्धकारी होगा।

(2) किसी विशेष शीरा वर्ष में किसी कारखाने में उत्पादित या संग्रहित शीरा नियंत्रक की पूर्व अनुज्ञा के बिना,पिछले शीरा वर्ष के शीरे के साथ मिश्रित नहीं किया जायेगा।

(3) किसी कारखाने में शीरा तब तक संग्रहीत नहीं किया जायेगा जब तक कि उसका वजन या माप न किया गया हो।

(4) शक्कर के कारखाने का अध्यासी इस बात के लिए पर्याप्त सावधानी बरतेगा कि किसी वर्ष में शीरे के संग्रहण मे छीजन संग्रहीत शीरे के कुल मात्रा के दो प्रतिशत से अधिक न हो। यदि छीजन दो प्रतिशत से अधिक हो तो अध्यासी नियम के उल्लघंन के लिए अधिनियम के अधीन आरोपित शासित से दंडित होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियंत्रक के संतोषानुसार यह साबित कर दिया जाय कि दुर्घटना या किसी अन्य अपरिहार्य कारण से उपर्युक्त विहित सीमा से अधिक छीजन या कभी हुई है तो अध्यासी किसी शास्ति का देनदार नहीं होगा।

टिप्पणी– उपनियम (3) और (4) भी आसवनियों में शीरा के संग्रहण पर लागू होगें।

9. निमज्जन दण्ड प्रतिपयन तथा परीक्षण उपकरणों की व्यवस्था आदि [धारा 5 (घ)]–शक्कर के कारखाने का कोई अध्यासी संग्रहण टंकियों में शीरे की गहराई नापने के लिए परिशिष्ट 1 में निर्दिष्ट ब्योरे के अनुसार निमज्जन दण्ड (dip Rods) और टंकियों की विभिन्न गहराई पर शीरे के नमूने लेने के लिए प्रतिपयन उपकरण (Sampling Apparatus) और परीक्षण उपकरण(Testing Apparatus) भी तथा अभिकर्मक(Reagent) रक्खेंगें और उन्हे आबकारी तथा राज्स्व विभागों के किसी अधिकारी द्वारा,जो क्रमशः उपर निरीक्षक आबकारी तथा तहसीलदार के पद से ऊँचें

पद का हो,मांग किये जाने पर प्रस्तुत करेगा उन्हे उनका प्रयोग करने की अनुज्ञा देगा।

10. उत्पादित शीरे के नमूनों का परीक्षण (धारा 5)(ख)– शक्कर के कारखाने का अध्यासी पेराई के शीरा वर्ष में शर्करा (Brix) और शक्कर की कुल मात्रा के लिए कारखाने मे उत्पादित शीरा के नमूनों का प्रतिदित परीक्षण करायेगा और उनके परिणामों को प्रतिदिन शीरा प्रपत्र 5 में रजिस्टर के संगत स्तम्भों में लिखेगा।

11. संग्रहण टंकी के शीरे के नमूनों का लिया जाना तथा परीक्षण (धारा 5 तथा 22)–(1) शक्कर के कारखाने का अध्यासी प्रति शीरा वर्ष नवम्बर से मई की अवधि में प्रत्येक माह के प्रथम और सोलहवें दिनांक को और प्रति शीरा वर्ष जून से अक्टूबर की अवधि में प्रथम,आठवें,सोलहवें,दिनांक को प्रत्येक संग्रहण टंकी से शीरे के सिरे,मध्य और पेंदी की परत के नमूने लिवाएगा और शर्करा तथा शक्कर की मात्राा के लिए उनका परीक्षण करायेगा और उनके परिणाम शीरा प्रपत्र 7 के संगत स्तम्भों में लिखेगा। रजिस्टर से संगत उद्वरण की एक शुद्व प्रति नियन्त्रक को उसी दिन,जिस दिन नमूने का परीक्षण कराया जाय,भेजी जायेगी। यदि शक्कर के कारखाने में आबकारी का उप निरीक्षक तैनात हो तो उसकी उपस्थिति में नमूने लिये जायेगें और उनका परीक्षण किया जायेगा।

(2) यदि किसी टंकी में संग्रहीत शीरे के गुण में एकाएक कोई आकस्मिक ह्रास हो तो शक्कर के कारखाने का अध्यासी तार द्वारा नियन्त्रक को उसकी तुरन्त सूचना देगा।

अध्याय तीन

सम्भरण तथा वितरण

12. शक्कर के कारखाने में उत्पादित किये जाने वाले शीरे का अनुमान [धारा 8 तथा 17 (ख)] शक्कर के प्रत्येक कारखाने का अध्यासी प्रति शीरा वर्ष 31 अगस्त तक नियंत्रण को शीरा प्रपत्र 9 में से एक विवरण–पत्र प्रस्तुत करेगा,जिसमें अगले शीरा वर्ष के दौरान शक्कर के किसी कारखाने द्वारा उत्पादित किये जाने वाले शीरे की मात्रा का लगभग अनुमान और ऐसी अन्य सूचना,जो उक्त प्रपत्र के अधीन अपेक्षित हो,देगा।

13. निकाल दिया गया।

14. [शीरे की बिक्री या उसके सम्बन्ध के सम्बन्ध में आदेश– शीरे की अनुमानित उपलब्धता का एक संहत विवरण पत्र नियंत्रक द्वारा तैयार किया जायेगा और अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन गठित परामर्श समिति के समक्ष रखा जायेगा जो अधिनियम की धारा 8 के उपबन्धों के अनुसार शीरे की बिक्री या उसके सम्भरण के सम्बन्ध में आज्ञा देगा।

15. शीरे के वहन का त्रैमासिक कार्यक्रम– शक्कर के प्रत्येक कारखाने की समय–समय पर उत्पादन क्षमता रेल टंकी,वैगनों की उपलब्धता,पथ परिवहन की सुविधा,शक्कर के कारखाने और आसवनी के भू–गृहादि में संग्रहण क्षमता तथा अन्य संगत तथ्यों को संगत को ध्यान रखते हुए नियंत्रक प्रत्येक कारखाने से शीरे के वहन के सम्बन्ध में एक त्रैमासिक कार्यक्रम तैयार कर सकता है। प्रत्येक शक्कर के कारखाने का अध्यासी और प्रदेशन ग्रहीता शीरे के वहन के लिए ऐसे कार्यक्रम के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करेगा।

16. प्रदेशन ग्रहीता द्वारा शीरा ले जाने की व्यवस्था (धारा–8)–(1) प्रदेशन ग्रहीता यथाशक्य शीघ्र प्रदेशन–आज्ञा प्राप्त हो जाने के पश्चात कारखाने के अध्यासी को लिखित रूप में यह सूचित करेगा कि शीरा रेल या सडक द्वारा जैसा कार्यक्रम में इंगित है,ले जाया जायेगा।

(2) यदि कार्यक्रम में यह इंगित हो कि शीरे को सडक द्वारा ले जाया जायेगा तो प्रदेशन ग्रहीता यह सुनिश्चित करने के लिये कि समय के भीतर प्रदिष्ट मात्रा को ले जाया जायेगा,कारखाने से शीरे को ले जाने के लिए लारियों या पात्रों (containers) की उस सीमा तक,जहॉ उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक हो,व्यवस्था करेगा।

17. शक्कर के कारखाने के अध्यासी द्वारा रेलवे वैगनों की मांग (धारा 8)– शक्कर के कारखाने का अध्यासी,जब नियम 15 में अभिदिष्ट कार्यक्रम में अपेक्षित हो,शीरे को ऐसी रीति से प्रेषण करने के लिए,जिससे कि प्रदेशन ग्रहीता को शीरे का सम्भरण नियमित और पूर्णरूप से हो सके,रेलवे के प्राधिकारियों से वैगनों के लिये मांग प्रस्तुत करेगा। रेलवे वैगनों के लिये प्रस्तुत की गयी उक्त मांग सम्बन्धी एक पाक्षिक विवरणी शीरा प्रपत्र 3 में नियंत्रक को प्रस्तुत की जायेगी,और जहां शक्कर के कारखाने में उप–निरीक्षक आबकारी तैनात हो वहां उसकी एक प्रतिलिपि उप निरीक्षक को दी जायेगी।

18. सड़क परिवहन की दशा में भराई का समय (धारा 22)–(1) पथ परिवहन की दशा में भराई का समय 6 बजे पूर्वान्ह से 10 बजे अपरान्ह तक होगा और रेलवे वैगनों की दशा में समय वही होगा जो रेलवे के प्राधिकारियों द्वारा निश्चित किया जाये।

(2) शीरा भरे रेलवे वैगनों का कर्षण तथा भरा जाना– शक्कर के किसी कारखाने का अध्यासी किसी रेलवे वैगनों के कर्षण (Haulage) और ऐसे वैगनों को भरे जाने अथवा टैंक,लारियों या अन्य पात्रों के भरे जाने से न तो इन्कार करेगा और न उसमें विलम्ब करेगा। यदि शक्कर के कारखाने का अध्यासी बिना पर्याप्त कारण के कर्षण तथा भरे जाने की तत्काल व्यवस्था न करे तो उस जिले के,जिसमे कारखाना स्थित हो,क्लेकटर को या नियंत्रक द्वारा इस प्रयोजन के लिये प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को कारखाने के भू–गृहादि में प्रवेश करने,कर्षण और शीरे के भरे जाने की व्यवस्था करने और उसके व्यय को शक्कर के कारखाने के अध्यासी से शक्कर के कारखाने को देय शीरे के मूल्य में से वसूल करने का अधिकार होगा।

19. शीरे के भरे जाने के लिए शक्ति चालित पम्पों तथा उप साधन की व्यवस्था (धारा 5(घ)]–शीरे के भरे जाने के लिए शक्कर के कारखाने का अध्यासी पर्याप्त क्षमता के शक्ति चालित पम्पों ओर अन्य उपसाधनों को अच्छी चालू दशा में रखेगा।

20. भेजे गये शीरे का स्वामित्व (धारा–22)–(1) किसी आसवनी को रेलवे टैकं वैगनों में भेजे गये शीरे की स्वामित्व सम्बद्व शक्कर के कारखानों के अध्यासी मे तब तक निहित रहेगा जब तक कि वह वास्तव में आसवनी को मिल न जाये और आसवनी की ओर से जान–बूझकर की गयी किसी चूक के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से होने वाली समस्त हानि शक्कर के कारखाने द्वारा वहन की जाएगी। सड़क द्वारा ले जाये जाने वाले शीरे के सम्बन्ध में शीरे का स्वामित्व ज्यों ही शीरा शीरा प्रपत्र–4 में निष्कासन–पत्र के साथ कारखाने के भू–गृहादि के बाहर ले जाया जाय,प्रदेशन ग्रहीता को प्राप्त हो जायगा और प्रदेशन ग्रहीता शीरे के गंतव्य स्थान तक सुरक्षित रूप से पहुॅचने और मार्ग में होने वाली हानि के लिये,यदि कोई हो,उत्तरदायी होगा।

(2) प्रदेशन ग्रहीता,जिसे औद्योगिक विकासों के लिए शीरे की आवश्यकता हो,शीरे के परिव्यय परिवहन के लिये स्वयं व्यवस्था करेगा और शीरे के गंतव्य स्थान तक सुरक्षित रूप से पहुंचाने और मार्ग में होने वाली हानि के लिये,यदि कोई हो,उत्तरदायी होगा। ऐसे प्रदेशन ग्रहीता से यह भी अपेक्षित होगा कि वह नियन्त्रक द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी को गंतव्य स्थान पर पारेषण (Consignment) का सत्यापन करने दें।

21. उन प्रयोजनों जिनके लिए शीरा प्रदिष्ट किया गया हो,से भिन्न प्रयोजनों के लिए समस्त शीरे के संक्रमण तथा प्रयोग पर निषेध (धारा–8 तथा 22)–(1) नियंत्रक की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी प्रदेश्ज्ञन ग्रहीता को सम्भरित कोई शीरा किसी अन्य व्यक्ति को संक्रमित नहीं किया जायेगा।

(2) नियन्त्रक की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी प्रदेशन ग्रहीता को प्रदिष्ट शीरा के प्रयोग उस प्रयोजन के,जिसके लिये वह प्रदिष्ट किया गया हो, भिन्न प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

22. आसवनियों और औद्योगिक विकास के लिये अन्य व्यक्तियों को शीरे की बिक्री या सम्भरः– शक्कर के कारखाने में उत्पादित शीरे की बिक्री या सम्भरण केवल आसवनियों या औद्योगिक विकास के प्रयोजनों के लिये वास्तविक रूप से अपेक्षा रखने वाले अन्य व्यक्तियों से किया जायेगा।

23. प्राशसनिक शुल्क (धारा–22)– प्रत्येक शक्कर के कारखाने का अध्यासी उसके द्वारा विक्रय या सम्भरण किए गए शीरे पर देय प्रशासनिक शुल्क की धनराशि उस जिले,जिसमें शक्कर का कारखाना स्थित है,के कोषागार या उप कोषागार में जमा करेगा और शीरे को वास्तव में खरीदार को देने के पूर्व शक्कर के कारखाने के प्रभारी आबकारी अधिकारी को ऐसी अदायगी के साक्ष्य के रूप में कोषागार चालान प्रस्तुत करेगा।

24. शीरे के परिवहन पर प्रतिबन्ध– कोई भी व्यक्ति जब तक की नियन्त्रक से लिखित अनुमति प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उत्तर प्रदेश के बाहर किसी शीरे का परिवहन करेगा और न ही करायेगा।

25. शीरे को शक्कर के कारखाने से हटाना (धारा–22)–(1)कोई भी शीरा शक्कर के किसी कारखाने के भू–गृहादि से तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उसका वजन या माप न किया गया हो और शीरा प्रपत्र–4 में निष्कासन पत्र जारी न किया गया हो। यह निष्कासन–पत्र कारखाने के अध्यासी या नियंत्रक द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा पॉच प्रतियों में जारी किया जायेगा। निष्कास–पत्र की एक प्रति शक्कर के कारखाने के अध्यासी के पास रहेगा,एक प्रति शक्कर के कारखाने के भू–गृहादि से शीरा हटाये जाने के पूर्व शक्कर कारखाने में तैनात आबकारी उप निरीक्षक को दी जायेगी,एक प्रति नियंत्रक को भेजी जायेगी और एक प्रति उस सर्किल के जिसमें शक्कर का कारखाना स्थित हो,आबकारी निरीक्षक को भेजी जायेगी।

25. प्रेषण की रसीद का सत्यापन–(2) परेषण की प्राप्ति पर परेषित प्राप्त मात्रा का सत्यापन करेगा और निष्कासन पत्र की दूसरी ओर उन्हे लिखेगा और उसे सम्बद्व शक्कर के कारखाने के अध्यासी को वापस कर देगा। परेषिती इस बात की पर्याप्त सावधानी बरतेगा कि अभिवहन में छीजन या कमी एक प्रतिशत से अधिक न हो। यदि छीजन या कमी एक प्रतिशत से अधिक हो तो परेषिती नियम के उल्लंघन के लिए अधिनियम के अधीन आरोपित शास्ति का भागी होगाः

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियंत्रक के सन्तोषानुसार यह साबित कर दिया जाय कि विहित सीमा से अधिक छीजन या कमी दुर्घटना या किसी अन्य अपरिहार्य कारण से हुई है तो परेषिती शास्ति का भागी न होगा।

(3) सत्यापन के लिए प्राधिकृत अधिकारी– उत्तर प्रदेश में आसवनियों में प्रयोग के लिये भेजे जाने वाले परेषण को सम्बद्व आसवनी के प्रभारी आबकारी निरीक्षक या नियंत्रक द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आसवक या उनके प्रतिनिधियों के सामने सत्यापित किया जायेगा और परिणाम निष्कासन–पत्र के दूसरी और लिखा जायेगा।